भाग – एक
सामान्य

1.1 मध्यप्रदेश के वन – एक दृष्टि में

1.1.1 सामान्य जानकारी

मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक वनक्षेत्र वाला राज्य है। भारत की कुछ महत्वपूर्ण नदियों के उद्‌गम स्थल प्रदेश में स्थित हैं। प्रदेश के वनों में प्रचुर जैव विविधता पाई जाती है। मण्डला, डिंडोरी, शहडोल, छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, बालाघाट के वनों में जहां साल और सागौन वृक्ष प्रजातियां हैं, वहीं चम्बल क्षेत्र में झाड़ीदार वन हैं। मध्य प्रदेश का सम्पूर्ण वन क्षेत्र कार्य आयोजना के अंतर्गत लिया गया है। वनवासियों के आवास स्थल मध्य प्रदेश के इन्हीं वनों में अथवा वनों के आसपास हैं। वनवासियों की आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था वनों से जुड़ी होने के कारण वन उनके जीवन पर सीधा प्रभाव डालते हैं।

प्रदेश के वन क्षेत्रों के प्रबंधन में व्यावसायिक दृष्टि के साथ ही जनकल्याण भावना भी मुख्य प्रेरक बिन्दु है। प्रदेश की वन नीति में इन्हीं प्राथमिकताओं का समावेश कर वानिकी गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश की घरेलू तथा औद्योगिक वनोपज की आवश्यकताएं पूर्ण करने के साथ ही वन क्षेत्र की सीमा से लगे क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को आजीविका के नये संसाधन उपलब्ध कराने का विभाग द्वारा प्रयास किया जा रहा है, ताकि वनों पर जैविक दबाव को कम किया जा सके।

1.1.2 विभाग का दायित्व

विभाग का दायित्व वनों का वैज्ञानिक दृष्टि से प्रबंधन करना है, ताकि वनों की संवहनीयता बनाए रखते हुए उनका संरक्षण व संवर्धन किया जा सके, स्थानीय लोगों को उनकी आवश्यकता के वन उत्पाद यथासंभव प्राप्त हो सकें, तथा वन आधारित उद्योगों को कच्चे माल की पूर्ति की जा सके। इन दायित्वों के निर्वहन के लिए विभाग की निम्न प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं –

1. वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण।
2. वन क्षेत्रों में जैव विविधता संरक्षण।
3. वनों का विकास तथा बिगड़े वनों का सुधार करते हुए उत्पादकता बढ़ाना।
4. वनेत्तर भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना।
5. वैज्ञानिक विधि से वनों का समयबद्ध विदोहन कर वनोपज को समय से बाजार में उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना।
6. निस्तार प्रदाय की व्यवस्था करना।
7. भूमिस्वामी क्षेत्र पर उपलब्ध वनोपज के विदोहन एवं निवर्तन हेतु लाभकारी प्रणाली स्थापित करना।
8. वनोपज के निवर्तन से राजस्व अर्जन करना।
9. उपरोक्त समस्त दायित्यों को पूर्ण करने हेतु वनों की सुरक्षा एवं प्रबंधन में जन भागीदारी सुनिश्चित करना।
10. वन प्रबंधन में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।
11. ईकोपर्यटन को बढ़ावा देते हुए वनों के बारे में आम जनता में जागरूकता का विकास करना।

1.1.3 महत्वपूर्ण सांख्यिकी

1.1.3.1 वनों का क्षेत्रफल

मध्य प्रदेश के वनों के क्षेत्रफल, राजस्व आदि से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े निम्न तालिकाओं में दर्शित हैं।

तालिका 1.1 : देश की तुलना में मध्य प्रदेश के वन

	भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)	**वनक्षेत्र** (वर्ग कि.मी.)	**प्रतिशत वनक्षेत्र**	**प्रति व्यक्ति वनक्षेत्र** (हेक्टेयर)
भारत	32,87,263	7,69,512	23.41	0.29
मध्य प्रदेश	3,08,245	94,689	30.71	0.51

(स्रोतः स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2009)

तालिका 1.2 : प्रदेश के वनक्षेत्रों की वैधानिक स्थिति

वर्गीकरण	**क्षेत्रफल** (वर्ग कि.मी.)	**प्रतिशत**
आरक्षित वन	61,886	65.35
संरक्षित वन	31,098	32.85
अन्य	1,705	1.80
योग	**94,689**	**100.00**

तालिका 1.3 : प्रदेश के वनों का घनत्व–वार क्षेत्रफल

वर्गीकरण	**क्षेत्रफल** (वर्ग कि.मी.)	**प्रतिशत**
अति सघन वन	6,647	7
सघन वन	35,007	37
विरल वन	36,046	38
कुल वनाच्छादित क्षेत्र	**77,700**	**82**
खुला क्षेत्र[1]	16,989	18
योग	**94,689**	**100**

1 – ऐसे क्षेत्र, जिनका घनत्व 0.1 से कम है। इसका उल्लेख स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में नहीं है।

(स्रोतः स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2009)

तालिका 1.4 : प्रदेश के वनों के प्रकार और क्षेत्रफल

संरचना	**क्षेत्रफल** (वर्ग कि.मी.)	**प्रतिशत**
सागौन	18,332	19.36
साल	3,932	4.15
बांस	434	0.45
मिश्रित वन	21,595	22.80
अन्य एवं रिक्त	50,396	53.24
योग	**94,689**	**100.00**

1.1.3.2 संयुक्त वन प्रबंध समितियां

वन प्रबंधन में जन भागीदारी के लिए गठित संयुक्त वन प्रबंध समितियों एवं उनके द्वारा प्रबंधित वन क्षेत्र के आंकड़े तालिका 1.5 में दर्शित हैं।

तालिका 1.5

समिति का प्रकार	संख्या	प्रबंधित वनक्षेत्र (वर्ग कि.मी.)
ग्राम वन समिति	9,650	37,268
वन सुरक्षा समिति	4,747	25,904
ईको विकास समिति	831	3,702
योग	**15,228**	**66,874**

1.1.3.3 वन ग्रामों की संख्या

मध्य प्रदेश में कुल वन ग्रामों की संख्या 925 है, जिसमें से 15 वीरान एवं 17 विस्थापित हैं। इस प्रकार वर्तमान में 893 वन ग्राम हैं, जिनमें से 827 क्षेत्रीय वन मंडलों में, 27 राष्ट्रीय उद्यानों में और 39 अभ्यारण्यों में स्थित हैं।

1.1.3.4 वनोपज का उत्पादन

राज्य में मुख्य रूप से सागौन, साल, बांस, खैर तथा अन्य मिश्रित प्रजातियों के वन पाये जाते हैं। कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार कूपों से ईमारती लकड़ी, जलाऊ, बांस व खैर का वन वर्धन के सिद्धांत के अनुसार विदोहन किया जाता है। साथ ही वनोपज की औद्योगिक व व्यापारिक आवश्यकताओं और वनों के समीप बसे ग्रामीणों की घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाती है। विगत तीन वर्षों में वन क्षेत्रों से काष्ठ एवं बांस उत्पादन का विवरण तालिका 1.6 एवं 1.7 में दर्शित है।

तालिका 1.6 : काष्ठ उत्पादन

वर्ष	इमारती लकड़ी (घ.मी.)	जलाऊ चट्टे (नग में)
2008–09	2,14,121	1,73,728
2009–10	2,58,857	2,11,023
2010–11 (दिसंबर 2010 तक)	1,10,416	69,274

तालिका 1.7 : बांस उत्पादन

वर्ष	औद्योगिक बांस (नो. टन)	व्यापारिक बांस (नो. टन)	योग (नो. टन)
2008–09	60,477	41,405	1,01,882
2009–10	49,252	29,255	78,507
2010–11 (दिसंबर 2010 तक)	8,965	6,589	15,554

[1 नो. टन = 2400 रनिंग मीटर]

1.1.3.5 निस्तार व्यवस्था

राज्य शासन की वर्तमान निस्तार नीति 1 जुलाई 1996 से लागू है। इस नीति में निस्तार सुविधा की पात्रता वनों की सीमा से 5 कि.मी. की परिधि में बसे परिवारों को ही दी गई है, जिन्हें घरेलू उपयोग के लिए बांस, छोटी इमारती लकड़ी (बल्ली), हल–बक्खर बनाने की लकड़ी तथा जलाऊ लकड़ी रियायती दरों पर दी जाती है। इन वनोपजों की पूर्ति के लिए राज्य में 1896 निस्तार डिपो संचालित हैं। इसके साथ–साथ स्वयं के उपयोग के लिये अथवा बिक्री के लिए वनों से सिरबोझ द्वारा गिरी–पड़ी, मरी, सूखी जलाऊ लकड़ी लाने की सुविधा भी पूर्व अनुसार दी जा रही है। राज्य में 24,058 बसोड़ परिवार पंजीकृत हैं, जिन्हें रायल्टी मुक्त दर पर बांस

उपलब्ध कराया जाता है। बांस का उत्पादन सीमित जिलों में होता है एवं उसकी मांग पूरे राज्य में रहती है। ऐसे बैगा आदिवासियों, जो कि बांस का सामान बनाकर जीविकोपार्जन करते हैं, को भी निस्तारी दरों पर बांस उपलब्ध कराने का निर्णय मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग के पत्र दिनांक 9.9.2009 द्वारा लिया गया है।

प्रदेश में निस्तार व्यवस्था के तहत विगत 3 वर्षो में प्रदाय वनोपज का विवरण तालिका 1.8 में दी गई है।

तालिका 1.8 : निस्तार प्रदाय

वर्ष	प्रदायित मात्रा	विक्रय मूल्य (लाख रूपएमें)	बाजार मूल्य (लाख रूपएमें)	दी गई रियायत (लाख रूपए में)
2008	66.05 लाख नग बांस 2.31 लाख नग बल्ली 0.66 लाख जलाऊ चट्टे	418.38 178.62 163.73	1098.74 290.56 409.70	1038.27
2009	67.21 लाख नग बांस 2.31 लाख नग बल्ली 0.64 लाख जलाऊ चट्टे	466.81 220.02 171.17	1162.32 340.44 402.61	1047.35
2010	59.69 लाख नग बांस 1.91 लाख नग बल्ली 0.83 लाख जलाऊ चट्टे	436.80 184.29 213.16	1038.41 381.36 729.92	1315.44

1.1.3.6 वनों से प्राप्त आय

विगत वर्षो में राजस्व लक्ष्य एवं प्राप्ति का विवरण तालिका 1.9 में दिया गया है।

तालिका 1.9

वर्ष	प्राप्त राजस्व (करोड़ रुपये)	पूर्व वर्ष की तुलना में वृद्धि (प्रतिशत)
2008–09	685.57	12.7
2009–10	804.18	17.3
2010–11	595.87 (दिसंबर 2010 तक)	

1.2 विभागीय संरचना

वन विभाग की गतिविधियां मुख्यालय स्तर पर विभिन्न शाखाओं के माध्यम से संचालित की जाती हैं। विभाग प्रमुख के रूप में प्रधान मुख्य वन संरक्षक इन शाखाओं के कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं तथा दिशानिर्देश देते हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय के अतंर्गत अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षक तथा उप वन संरक्षक स्तर के अधिकारी विभिन्न शाखाओं के कार्यों का संपादन करते हैं। इनके अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन भू–अभिलेख) द्वारा प्रदेश के वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु कार्य आयोजना पुनरीक्षण के कार्य का नियंत्रण किया जाता है, एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) व्दारा प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों व अभ्यारण्यों पर प्रशासकीय नियंत्रण रखा जाता है तथा वैज्ञानिक आधार पर वन्य प्राणी संवर्धन सुनिश्चित किया जाता है।

1.2.1 मुख्यालय स्तर पर कार्यरत शाखाएं

- कार्य आयोजना
- वन–भू अभिलेख
- वन्य प्राणी
- प्रशासन – एक
- प्रशासन – दो
- विकास
- संरक्षण
- उत्पादन
- वित्त एवं बजट
- अनुसंधान, विस्तार एवं लोक वानिकी
- सूचना प्रौद्योगिकी
- समन्वय
- सतर्कता एवं शिकायत
- प्रोजेक्ट्स
- भू–प्रबंध
- मानव संसाधन विकास
- संयुक्त वन प्रबंधन एवं वन विकास अभिकरण
- सामुदायिक वन प्रबंधन परियोजना
- विश्व खाद्य कार्यक्रम एवं आजीविका
- नीति विश्लेषण

1.2.2 क्षेत्रीय कार्यालय

वन क्षेत्रों का वैज्ञानिक प्रबंधन और वन संसाधनों का संरक्षण व संवर्द्धन क्षेत्रीय स्तर पर गठित प्रशासनिक इकाईयों के माध्यम से किया जाता है, जिसका विवरण निम्नानुसार है –

क्षेत्रीय इकाईयों का प्रकार	संख्या	इकाईयां
क्षेत्रीय वन वृत्त	16	बालाघाट, बैतूल, भोपाल, छतरपुर, छिन्दवाड़ा, ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, रीवा, सागर, सिवनी, शहडोल, शिवपुरी एवं उज्जैन।
कार्य आयोजना इकाई	16	बालाघाट, बैतूल, भोपाल, छतरपुर, छिन्दवाड़ा, ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, रीवा, सागर, सिवनी, शहडोल, शिवपुरी एवं उज्जैन।
अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त	11	बैतूल, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, खंडवा, रतलाम, रीवा, सागर एवं सिवनी।
कार्य आयोजना वृत्त	3	भोपाल, इन्दौर एवं जबलपुर।
राष्ट्रीय उद्यान	10	कान्हा (मंडला), बांधवगढ़ (उमरिया), पेंच (सिवनी), पन्ना, सतपुड़ा (होशंगाबाद), संजय (सीधी), वन विहार (भोपाल), माधव (शिवपुरी), फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान (डिंडोरी) एवं डायनोसोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, बाग (धार)।
क्षेत्रीय वनमंडल	63	उत्तर बालाघाट, दक्षिण बालाघाट, उत्तर बैतूल, दक्षिण बैतूल, पश्चिम बैतूल, भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, ओबेदुल्लागंज, छतरपुर, उत्तर पन्ना, दक्षिण पन्ना, टीकमगढ़, पूर्व छिंदवाडा, पश्चिम छिंदवाडा, दक्षिण छिंदवाड़ा, ग्वालियर, दतिया, भिण्ड, मुरैना, श्योपुर, होशंगाबाद, हरदा, इंदौर, धार, झाबुआ, जबलपुर, कटनी, पश्चिम मण्डला, पूर्व मण्डला, डिण्डौरी, खण्डवा, बुरहानपुर, खरगौन, बड़वाह, बड़वानी, सेंधवा, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, उत्तर सागर, दक्षिण सागर, दमोह, दक्षिण सिवनी, उत्तर सिवनी, नरसिंहपुर, उत्तर शहडोल, दक्षिण शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, शिवपुरी, गुना, अशोक नगर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, देवास, शाजापुर एवं अलीराजपुर।
उत्पादन वनमंडल एवं विक्रय इकाई	15	उत्तर बालाघाट, दक्षिण बालाघाट, पश्चिम बालाघाट, बैतूल, सीहोर[1], रायसेन, छिंदवाड़ा, हरदा, मण्डला, डिण्डौरी, खंडवा, दक्षिण सिवनी, उत्तर सिवनी, एवं देवास; विक्रय वन मंडल, नई दिल्ली।

वन विद्यालय / वन प्रशिक्षण संस्थान	9	वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय, बालाघाट; वन विद्यालय शिवपुरी, अमरकंटक, बैतूल, गोविंदगढ़ एवं झाबुआ; राजीव गांधी सहभागी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, लखनादौन (सिवनी); इंदिरा गांधी वन प्रशिक्षण शाला, पचमढ़ी; जैव विविधता प्रशिक्षण केन्द्र, ताला (उमरिया)।

1 मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग की अधिसूचना दिनांक 1 दिसम्बर 2010 से वनमंडल समाप्त।

1.3 प्रशासनिक विषय

1.3.1 वन विभाग की नवीन संरचना

मध्यप्रदेश शासन द्वारा 3.4.2008 को जारी आदेश अनुसार विभाग की संरचना तालिका 1.10 में दी गई है।

तालिका 1.10

पद	संख्या
1. वनरक्षक	13,997
2. वनपाल	4,184
3. उप वन क्षेत्रपाल	1,257
4. वन क्षेत्रपाल	1,192
5. सहायक वन संरक्षक	358
6. लिपिकीय	2,829
7. चतुर्थ श्रेणी	1,165
8. विविध अन्य	731
9. विविध राजपत्रित	24
कुल	**25,737**

1.3.2 सीधी भरती

विभिन्न क्षेत्रीय पदों पर सीधी भरती के संबंध में विवरण निम्नानुसार है –

1.3.2.1 वन रक्षक

वनरक्षकों के जून 2010 तक रिक्त हुए 1500 पदों में से 900 पदों पर सीधी भर्ती की प्रकिया व्यावसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से प्रचलित है। 600 पदों को दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के माध्यम से भरे जाने हेतु विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है, एवं अब तक 252 पदों पर भर्ती पूर्ण की जा चुकी है। वर्ष 2008 में वनरक्षकों के 2241 पदों को विभाग द्वारा सीधी भर्ती से एवं 1245 पदों को दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के चयन से भरा गया।

1.3.2.2 वन क्षेत्रपाल

वन क्षेत्रपालों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया लंबे अंतराल के उपरांत वर्ष 2008 में पुनः प्रारंभ की गई है। प्रथमतः 172 पदों हेतु मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयन पूर्ण कर चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण हेतु भारत सरकार से प्राप्त सीटों के आबंटन के अनुरूप वनक्षेत्रपाल महाविद्यालय, बालाघाट, वानिकी प्रशिक्षण अकादमी, हल्द्वानी, केन्द्रीय अकादमी, राज्य वन सेवा, बर्नीहाट (असम), केन्द्रीय अकादमी, राज्य वन सेवा, कोयम्बटूर (तमिलनाडु), तथा आंध्र प्रदेश वन अकादमी, दुलापल्ली (हैदराबाद) में भेजा गया है। प्रशिक्षण उपरांत नव नियुक्त वन क्षेत्रपाल वर्ष 2011 में कर्तव्य पर उपस्थित हो जाएंगे।

इसी क्रम में आगामी 5 वर्षो में 241 सीधी भर्ती के पद भरे जाएंगे, तथा वर्तमान में 93 पदों की पूर्ति हेतु मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित की गई है।

1.3.3 पदोन्नति

विभाग के अंतर्गत वर्ष 2009 –10 में पदवार की गई पदोन्नतियों का विवरण तालिका 1.11 में दर्शित है।

तालिका 1.11

पद	पदोन्नतियों की संख्या
वन रक्षक से वनपाल	568
वनपाल से उप वन क्षेत्रपाल	167
उप वन क्षेत्रपाल से वन क्षेत्रपाल	107
वन क्षेत्रपाल से सहायक वन संरक्षक	5
लेखा अधीक्षक से अधीक्षक	8
सहा.ग्रेड –1 से लेखा अधीक्षक	9
लेखापाल से सहायक ग्रेड–1	18
सहा.ग्रेड–2 से लेखापाल	11
सहा.ग्रेड–3 से सहा.ग्रेड–2	3
भृत्य से सहा.ग्रेड–3	1
जमादार/दफ्तरी से सुपरवाईजर	1
भृत्य से दफ्तरी/ जमादार	8
योग	**906**

1.3.4 राज्य वन सेवा

राज्य वन सेवा के लिए लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूर्ण कर सहायक वन संरक्षक के 12 पदों पर वर्ष 2009 में नियुक्ति की गई, जिसमें 4 महिलाएं सम्मिलित हैं। वर्ष 2009 में 12 तथा वर्ष 2010 में 13, कुल 25 पदों को भरे जाने हेतु मांग पत्र राज्य शासन द्वारा लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है। भर्ती की प्रक्रिया लोक सेवा आयोग स्तर पर प्रचलित है। आगामी 3 वर्षो में क्रमशः 12, 12, एवं 11 पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भरती से भरे जाएंगे।

1.3.5 भारतीय वन सेवा

भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्राालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की अधिसूचना दिनांक 26 अगस्त 2008 द्वारा मध्यप्रदेश संवर्ग के भारतीय वन सेवा अधिकारियों का संवर्ग पुनरीक्षण किया गया है, जो तालिका 1.12 में दर्शित है।

तालिका 1.12

पद	संख्या
प्रधान मुख्य वन संरक्षक	3
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	10
मुख्य वन संरक्षक	68
वन संरक्षक	34
उप वन संरक्षक	65
कुल वरिष्ठ पद	**180**
केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व	36
राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व	45
प्रशिक्षण रिजर्व	6
छुट्टी रिजर्व तथा कनिष्ठ पद रिजर्व	29
कुल प्राधिकृत संख्या	**296**

पदोन्नति से भरे जाने वाले पद	**89**
सीधी भरती से भरे जाने वाले पद	**207**
योग	**296**

1.4 विधानसभा प्रश्न एवं आश्वासन

विगत तीन वर्षों में प्राप्त विधान सभा प्रश्नों तथा विभिन्न प्रश्नों पर निर्मित आश्वासनों की जानकारी तालिका 1.13 एवं 1.14 में दी गई है।

तालिका 1.13

वर्ष	प्राप्त प्रश्नों की संख्या	लंबित प्रश्नों की संख्या
2008	165	निरंक
2009	416	निरंक
2010	494	निरंक

तालिका 1.14

वर्ष	प्राप्त आश्वासनों की संख्या	लंबित आश्वासनों की संख्या
2008	28	01
2009	42	11
2010	19	12

1.5 विभाग के अंतर्गत आनेवाले निगम, उपक्रम व संस्थाओं का विवरण

मध्य प्रदेश वन विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित चार उपक्रम कार्यरत हैं –

1.5.1 मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम

राष्ट्रीय कृषि आयोग की अंतरिम रिपोर्ट, 'प्रोडक्शन फॉरेस्ट्रीः मैन–मेड फारेस्ट्स' (1972) के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई 1975 को की गई थी। निगम की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य निम्न कोटि के वन क्षेत्रों को तेजी से बढ़ने वाली बहुमूल्य तथा बहुउपयोगी प्रजातियों के रोपण द्वारा उच्च कोटि के वनों में परिवर्तित कर उत्पादन क्षमता में सुधार लाना है। निगम से संबंधित विवरण **परिशिष्ट एक** में दिया गया है।

1.5.2 मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ

मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ का गठन 1984 में लघु वनोपजों के संग्रहण और व्यापार हेतु किया गया था। 1989 में इस व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ और प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्ग के ग्रामीणों के समाजिक–आर्थिक उत्थान हेतु वनोपज के संग्रहण तथा विपणन का कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया। लघु वनोपज संघ से संबंधित विस्तृत आलेख **परिशिष्ट दो** में संलग्न है।

1.5.3 राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर

राज्य वन अनुसंघान संस्थान, जबलपुर वर्ष 1963 में अस्तित्व में आया। राज्य शासन के 29 अक्टूबर 1994 को जारी आदेश द्वारा इसे स्वायत्तशासी संस्थान घोषित किया गया। यह संस्थान वन वनस्पति, वनवर्धन, वृक्ष सुधार, बीज तकनीकी, जैव विविधता, वन अनुवांशिकी, जैव प्रौद्योगिकी, वनोपज विपणन, वन विस्तार, वन मापिकी, पर्यावरणीय प्रभाव आदि विषयों में शोध एवं तकनीक विकसित कर उनके प्रचार प्रसार का कार्य करता है। संस्थान की गतिविधियों का विवरण **परिशिष्ट तीन** में सम्मिलित है।

1.5.4. मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड

मध्यप्रदेश के प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण क्षेत्रों में पर्यटन को विकसित करने के लिये मध्य प्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड का गठन 12 जुलाई 2005 को किया गया। यह देश का पहला ईकोपर्यटन विकास बोर्ड है। बोर्ड का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों में अभिरूचि जागृत करने के साथ–साथ उनके संरक्षण के प्रति भी जागरूकता लाना, ईकोपर्यटन गंतव्य स्थलों पर अधोसंरचना विकास करना और इन गतिविधियों के माध्यम से स्थानीय समुदायों को रोजगार उपलब्ध कराना है। बोर्ड से संबंधित आलेख **परिशिष्ट चार** में दिया गया है।

– – – – –

भाग – दो
वित्तीय प्रावधान

2.1 बजट विहंगावलोकन

विगत तीन वर्षों के योजना प्रावधान और व्यय का विवरण निम्न तालिकाओं में दर्शित है।

तालिका 2.1 : राज्य योजनाएं

(राशि लाख रूपए में)

योजना का नाम	2008–09		2009–10		2010–11	
	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय (दिसंबर 2010 तक)
1. भूमि एवं जल संरक्षण	100.00	97.10	56.00	55.89	100.00	54.14
2. प्रशासन सुदृढ़ीकरण	350.00	315.98	300.00	253.34	518.75	243.41
3. पर्यावरण वानिकी	600.00	598.31	600.00	595.60	752.25	495.94
4. कार्य आयोजना का क्रियान्वयन	16691.76	16141.53	16544.17	15993.92	19534.00	12951.00
5. वन प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन	60.00	57.67	60.00	58.92	100.00	48.32
6. कर्मचारी कल्याण योजना	50.00	47.15	50.00	46.72	100.00	69.54
7. लोक वानिकी एवं पौधा तैयारी	563.15	555.85	968.90	925.75	970.00	802.04
8. सड़क, भवन एवं चौकी निर्माण	2463.00	2342.29	1900.00	1845.54	1095.00	869.90
9. संरक्षित क्षेत्रों से ग्रामों का पुनर्वास एवं मुआवजा	500.00	496.52	100.00	0.00	150.00	0.00
10. अध्ययन एवं अनुसंधान	40.00	39.35	68.40	68.40	70.00	30.66
11. वनों के अनुरक्षण हेतु केन्द्रीय अनुदान	2300.00	2249.12	2586.29	2424.19	0.00	0.00
12. ओंकारेश्वर निधि से व्यय	500.00	476.34	200.00	197.55	500.00	321.25
13. संरक्षित क्षेत्रों में स्थित ग्रामों के लिये ईको विकास योजना	200.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
14. ईकोपर्यटन विकास बोर्ड को अनुदान	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	75.00
15. वन्य प्राणी द्वारा फसल क्षति का मुआवजा	0.00	0.00	50.00	9.41	184.80	13.16
महायोग	**24417.91**	**23417.21**	**23633.76**	**22575.23**	**24224.80**	**15974.36**

'संरक्षित क्षेत्रों से ग्रामों का पुनर्वास एवं मुआवजा' के अंतर्गत वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में आवश्यकता के अनुपात में राशि कम उपलब्ध होने के कारण राशि व्यय करना संभव नहीं हो सका। 'संरक्षित क्षेत्रों में स्थित ग्रामों के लिये ईको विकास योजना' के अंतर्गत सक्षम वित्तीय समिति से योजना का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण उपरोक्त वर्षों में प्रावधानित राशि व्यय नहीं की जा सकी।

तालिका 2.2 : केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

(राशि लाख रूपए में)

योजना का नाम		2008–09		2009–2010		2010–11	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय (दिसंबर 2010 तक)
1. राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों का विकास (प्रोजेक्ट टाइगर)	राज्यांश	620.00	491.32	964.00	709.12	550.00	115.75
	केन्द्रांश	5379.60	5364.53	26189.59	4057.96	22546.75	502.44
2. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के माध्यम से वन्य प्राणी विकास	राज्यांश	38.50	30.99	8.50	7.98	40.00	15.52
	केन्द्रांश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों का विकास	राज्यांश	150.00	241.09	40.00	23.21	120.00	20.00
	केन्द्रांश	1037.51	613.59	734.67	618.78	774.90	126.92
4. गहन वन प्रबंध योजना [1]	राज्यांश	264.75	111.34	467.99	116.58	505.00	53.80
	केन्द्रांश	794.25	334.03	1523.98	349.73	1515.00	158.98
योग	राज्यांश	1073.25	874.74	1471.99	856.89	1215.00	205.07
	केन्द्रांश	7211.36	6312.15	28448.24	5026.47	24836.65	788.34

1. उक्त योजना का नाम पूर्व में 'वनों में आधुनिक अग्नि सुरक्षा योजना' था।

तालिका 2.3 : केन्द्र क्षेत्रीय योजनाएं

(राशि लाख रूपए में)

योजना का नाम	2008–09		2009–2010		2010–2011	
	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
राष्ट्रीय जल तंत्र संरक्षण कार्यक्रम	37.50	19.72	54.00	33.00	59.00	0.00
योग	**37.50**	**19.72**	**54.00**	**33.00**	**59.00**	**0.00**

2.2 आयोजनेत्तर व्यय

आयोजनेत्तर बजट प्रावधान तथा व्यय की स्थिति तालिका 2.4 में दर्शित है।

तालिका क्र. 2.4

(राशि लाख रूपए में)

मद	2008–09		2009–10		वर्ष 2010–11	
	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय (दिसंबर 2010 तक)
1. वेतन एवं भत्ते	28711.22	29449.72	39207.84	38547.39	46820.41	35005.86
2. मजदूरी	4292.70	4958.64	5534.03	5478.97	6444.48	4316.45
3. कार्यालय व्यय	1831.42	1297.92	1720.96	1341.21	1763.80	1136.19
4. अनुरक्षण कार्य	151.01	115.06	153.81	132.65	166.83	111.79
5. भवनों, सड़कों का रखरखाव	1200.00	1088.37	1400.00	1193.25	1545.00	625.59
6. इमारती लकड़ी, बांस, खैर	9204.98	8333.77	13329.87	8776.31	10993.37	4665.54
7. अनुग्रह अनुदान	226.10	295.00	436.60	364.70	524.90	381.10

8. गोपनीय सेवा, क्षतिपूर्ति, पुरस्कार	113.96	187.91	418.80	210.89	415.70	189.93
9. लाभांश	2000.00	1904.57	3000.00	2334.81	3700.00	2936.94
10. कर एवं रायल्टी	5812.88	5757.02	5872.53	5808.19	6106.31	5807.70
11. विज्ञापन, सामग्री, पूर्तियां, अन्य	166.53	160.05	205.09	173.96	205.42	102.30
12. भारित मद (डिक्री धन)	928.00	11.45	1025.00	17.04	42.75	12.83
योग	**54638.80**	**53559.48**	**72304.53**	**64379.37**	**78728.97**	**55292.22**

– – – – –

भाग – तीन
योजनाएं

3.1 राज्य योजना

3.1.1 भूमि एवं जल संरक्षण

इस योजना के अंतर्गत वन भूमि में आवश्यकतानुसार चेक डैम, गली प्लगिंग, कंटूर ट्रेंचिग आदि कार्य कराये जाते हैं। आवश्यकतानुसार सीमित मात्रा में रोपण कार्य भी कराया जाता है। इस योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में होशंगाबाद, ग्वालियर, इन्दौर, उज्जैन एवं खण्डवा वृत्तों में भूमि एवं जल संरक्षण के कार्य कराये गये हैं। विगत तीन वर्षो में प्राप्त आर्थिक लक्ष्य एवं उपलब्धि का विवरण तालिका 3.1 में दिये अनुसार है।

तालिका 3.1

वर्ष	भौतिक (क्षेत्रफल हेक्टेयर में)		आर्थिक (राशि लाख रुपए में)	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2008–09	200	200	100.00	97.10
2009–10	रखरखाव कार्य	रखरखाव कार्य	56.00	55.89
2010–11	200	कार्य प्रगति पर	100.00	54.14 (दिसंबर 2010 तक)

3.1.2 प्रशासन सुदृढ़ीकरण

प्रशासन सुदृढ़ीकरण की योजना 1988–89 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत वन संसाधनों का सर्वेक्षण एवं उपयोग, संसूचना, आवागमन के साधनों तथा शस्त्रों का प्रावधान किया जाता है। विगत तीन वर्षो में इस कार्य हेतु प्राप्त आर्थिक लक्ष्य एवं व्यय की जानकारी तालिका 3.2 में दर्शित है।

तालिका 3.2

(राशि लाख रुपए में)

वर्ष	आर्थिक लक्ष्य	आर्थिक उपलब्धि
2008–09	350.00	315.98
2009–10	300.00	253.34
2010–11	518.75	243.41 (दिसंबर 2010 तक)

3.1.3 पर्यावरण वानिकी

यह योजना 1983–84 से प्रारंभ की गई है। योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में रोपण किया जाता है। इसका उद्देश्य छोटे पार्कों, सड़क किनारे एवं अन्य सामुदायिक क्षेत्रों में रोपण द्वारा शहरों में हरियाली लाना है। विगत तीन वर्षो में प्राप्त आबंटन एवं व्यय का विवरण तालिका 3.3 में दर्शित है।

तालिका 3.3

(राशि लाख रुपए में)

वर्ष	आर्थिक लक्ष्य	आर्थिक उपलब्धि
2008–09	600.00	598.31
2009–10	600.00	595.60
2010–11	752.25	495.94 (दिसंबर 2010 तक)

3.1.4 कार्य आयोजनाओं का क्रियान्वयन

इस योजना के अंतर्गत 0.4 से कम घनत्व वाले वन क्षेत्रों का वनीकरण किया जाता है और जैविक दबावों से वन क्षेत्रों को सुरक्षा देकर आवश्यकतानुसार भूमि एवं जल संरक्षण तथा वनीकरण कर वनों का पुनर्स्थापन और पुनरुत्पादन किया जाता है। आवश्यकतानुसार घास रोपण कर मृदा संरक्षण किया जाता है। विगत तीन वर्षो में प्राप्त आबंटन तथा व्यय का विवरण तालिका 3.4 में दिये गये अुनसार है।

तालिका 3.4

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में; राशि लाख रूपए में)

वर्ष	भौतिक		आर्थिक	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2008–09	3,08,428	2,97,823	16691.76	16141.53
2009–10	3,05,841	3,00,408	16544.17	15993.92
2010–11	3,17,571	कार्य प्रगति पर	19534.00	12951.00 (दिसंबर 2010 तक)

3.1.5 वन प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन

प्रदेश के वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय तथा 3 वनपाल एवं 5 वन रक्षक प्रशिक्षण शालाओं में संचालित कार्यक्रम इस योजना से पोषित है। वानिकी के समग्र विकास के लिये समुचित मानव संसाधन विकास इस योजना द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। इन प्रशिक्षण शालाओं में आधुनिक उपकरणों का प्रदाय एवं विभिन्न वर्ग के वन कर्मचारियों तथा वन समितियों के सदस्यों हेतु प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है। वनों के तकनीकी प्रबंधन को सुदृढ़ करने हेतु यह एक महत्वपूर्ण योजना है। विगत तीन वर्षों के प्रावधान तथा व्यय की स्थिति निम्न तालिका 3.5 में दर्शित है।

तालिका 3.5

(राशि लाख रूपये में)

वर्ष	आर्थिक लक्ष्य	आर्थिक उपलब्धि
2008–09	60.00	57.67
2009–10	60.00	58.92
2010–11	100.00	48.32 (दिसंबर 2010 तक)

3.1.6 कर्मचारी कल्याण योजना

इस योजना के अंतर्गत दूरस्थ वनों में पदस्थ वन कर्मचारियों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अंतर्गत पीने के पानी, बिजली, भवन, शौचालय आदि की व्यवस्था एवं खेलकूद के प्रति प्रोत्साहन इत्यादि से संबंधित कार्य कराए जाते हैं। विगत तीन वर्षो में किये गये आबंटन एवं व्यय का विवरण तालिका 3.6 अनुसार है।

तालिका 3.6

(राशि लाख रूपए में)

वर्ष	आर्थिक लक्ष्य	आर्थिक उपलब्धि
2008–09	50.00	47.15
2009–10	50.00	46.72
2010–11	100.00	69.54 (दिसंबर 2010 तक)

3.1.7 लोक वानिकी एवं रोपणियों में पौधा तैयारी कार्य

इस योजना के अन्तर्गत निजी अथवा राजस्व भूमि पर आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रजातियों के वृक्षारोपण के लिये क्षमता विकास किया जाता है। लोक वानिकी योजना प्रदेश में व्यापक रूप से निजी पूंजी निवेश द्वारा लागू की जा रही है, जिसका वैज्ञानिक क्रियान्वयन एक प्रबंध योजना के अनुसार किया जाता है। योजना में कार्यशाला, किसान सम्मेलन, प्रबंध योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी प्रशिक्षण, पंचायत प्रतिनिधियों एवं संस्थाओं के लिये प्रशिक्षण–सह–अध्ययन प्रवास, अध्ययन प्रवास, औषधीय पौधों की खेती हेतु प्रशिक्षण आदि कार्य लिये जाते हैं। विगत तीन वर्षो में किये गये आबंटन एवं व्यय का विवरण तालिका 3.7 में दर्शित है।

तालिका 3.7

(राशि लाख रूपये में)

वर्ष	आर्थिक लक्ष्य	आर्थिक उपलब्धि
2008–09	563.15	555.85
2009–10	968.90	925.75
2010–11	970.00	802.04 (दिसंबर 2010 तक)

3.1.8 सड़क, भवन एवं चौकी निर्माण कार्य

इस योजना का उद्देश्य दूरस्थ वन कर्मचारियों को आवास सुविधा उपलब्ध कराना है। संवेदनशील वन क्षेत्रों में वन कर्मचारियों की सामूहिक गश्ती के लिये चौकियों तथा लाईन क्वार्टर का निर्माण तथा आवागमन की दृष्टि से वन मार्गों का निर्माण व पुनरुद्धार कार्य कराया जाता है। विगत तीन वर्षो की भौतिक व आर्थिक उपलब्धियां तालिका 3.8 में दिये अनुसार है।

तालिका 3.8

(राशि लाख रूपए में)

वर्ष	भौतिक		आर्थिक	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2008–09	370 भवन, 38 चौकी, 16 लाईन क्वार्टर	362 भवन, 38 चौकी, 16 लाईन क्वार्टर	2463.00	2342.29
2009–10	360 भवन, 150 भवन (आंशिक), 5 वन विश्राम गृह, 16 लाईन क्वार्टर	360 भवन, 150 भवन (आंशिक), 5 वन विश्राम गृह, 16 लाईन क्वार्टर	1900.00	1845.54
2010–11	150 अपूर्ण भवनों को पूर्ण करना एवं 102 नए भवन (आंशिक)	कार्य प्रगति पर	1095.00	869.90 (दिसंबर 2010 तक)

3.1.9 संरक्षित क्षेत्रों से ग्रामों का पुनर्वास एवं संरक्षित क्षेत्रों में अधिकारों के अर्जन हेतु मुआवजा

यह योजना वर्ष 2007–08 से प्रारम्भ की गई है। योजना का उद्देश्य वन्यप्राणी धरोहर का संरक्षण करना एवं इसमें स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त करना है। वर्ष 2008–09 में रूपए 500 लाख के प्रावधान के विरूद्ध रूपए 496.52 लाख की राशि व्यय की गई है।

3.1.10 संरक्षित क्षेत्रों में स्थित ग्रामों के लिये ईको विकास योजना

यह कार्यक्रम वर्ष 2007–08 में प्रारम्भ किया गया है। संरक्षित क्षेत्रों से जिन ग्रामों को विस्थापित किया जाना आवश्यक नहीं है, उनमें ग्राम विकास की गतिविधियां जैसे ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास, चारागाह एवं जलाऊ वृक्षारोपण, वैकल्पिक रोजगार, प्रशिक्षण तथा कृषि एवं पशु सुधार इत्यादि ली जाती हैं, परंतु विगत वर्षों में सक्षम वित्तीय समिति से योजना का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण राशि व्यय नहीं की जा सकी है।

3.1.11 अध्ययन एवं अनुसंधान

यह योजना 2007–08 में प्रारम्भ की गई है। योजना का उद्देश्य राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर को अध्ययन और अनुसंधान परियोजनाओं के संचालन हेतु राशि उपलब्ध कराना है। योजना में प्राप्त आबंटन तथा व्यय की जानकारी तालिका 3.9 में है।

तालिका 3.9

(राशि लाख रूपये में)

वर्ष	आर्थिक लक्ष्य	आर्थिक उपलब्धि
2008–09	40.00	39.35
2009–10	68.40	68.40
2010–11	70.00	30.66 (दिसंबर 2010 तक)

इस योजना के अंतर्गत मुख्यतः रोपणी तकनीक, बीज तकनीक, जैव विविधता एवं वृक्ष विकास पर अनुसंधान कार्य प्रगति पर है।

3.1.12 वनों के अनुरक्षण हेतु केन्द्रीय अनुदान

बारहवें वित्त आयोग द्वारा वन विभाग को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में विगत पांच वर्षों (2005–06 से 2009–10) में प्रतिवर्ष रूपए 23.00 करोड़ इस प्रकार कुल रूपये 115.00 करोड़, का प्रावधान किया गया था। इसके अंतर्गत मुख्यतः उच्च तकनीकी वृक्षारोपण, शहरी एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वन विहीन पहाड़ियों का पुनर्वनीकरण, वन्यप्राणी संरक्षण, वन्यप्राणियों से फसलों की सुरक्षा हेतु चेनलिंक फेंसिंग तथा पत्थर की दीवार का निर्माण, शस्त्रों, दूर संचार संयंत्रों, अग्नि सुरक्षा उपकरणों आदि का प्रदाय, बिगड़े वन क्षेत्रों में उच्च उत्पादकता वाले वृक्षारोपण, मध्य प्रदेश वन विकास निगम तथा ईकोपर्यटन विकास बोर्ड को अनुदान, वनोपज परिवहन हेतु ट्रकों का क्रय इत्यादि कार्य किए गए हैं। इसके अंतर्गत वर्ष 2009–10 में उपलब्ध प्रावधान रूपए 2586.29 लाख के विरूद्ध रूपए 2424.19 लाख की राशि व्यय की गई है। तेरहवें वित्त आयोग द्वारा मध्य प्रदेश के लिए रूपए 490.32 करोड़ वन अनुदान स्वीकृत हुआ। इसमें से वर्ष 2010–11 हेतु रूपए 61.29 करोड़ का प्रावधान था, जिसके विरुद्ध वन विभाग के उपयोग के लिए कोई राशि विमुक्त नहीं की गई है।

3.1.13 ओंकारेश्वर निधि से व्यय

वर्ष 2007–08 से प्रारम्भ यह योजना खंडवा, खरगौन, बड़वानी, बड़वाह, झाबुआ, देवास, धार और हरदा वनमंडलों में संचालित की जा रही है। योजनांतर्गत नर्मदा जलग्रहण क्षेत्रों में रोपण और पुनरूत्पादन कार्य लिए जा रहे हैं। विगत 3 वर्षो में आबंटन और व्यय का विवरण तालिका 3.10 में दर्शित है।

तालिका 3.10

वर्ष	भौतिक (क्षेत्रफल हेक्टेयर में)		आर्थिक (राशि लाख रूपए में)	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2008–09	रोपणः 3,885 क्षेत्र तैयारीः 910	रोपणः 3,885 क्षेत्र तैयारीः 910	500.00	476.34
2009–10	रोपणः 910 रखरखावः 3,885	रोपणः 910 रखरखावः 3,885	200.00	197.55
2010–11	क्षेत्र तैयारीः 1000 रखरखावः 3,885	कार्य प्रगति पर।	500.00	321.25 (दिसंबर 2010 तक)

3.2 केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

3.2.1 राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों का विकास

इसके अंतर्गत केन्द्र शासन द्वारा राज्य के संरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों) में वन्यप्राणियों के संरक्षण हेतु अधोसंरचना विकास के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। योजना में आवर्ती व्यय का 50 प्रतिशत तथा अनावर्ती व्यय का 100 प्रतिशत केन्द्र शासन से प्राप्त होता है। आवर्ती व्यय की शेष राशि राज्य शासन वहन करता है। योजना के अन्तर्गत जल–स्रोतों का विकास, लैन्टाना उन्मूलन कार्य, पशु अवरोधक दीवार व फेंसिंग, संचार साधनों का विकास, भवन निर्माण, जनहानि एवं पशुहानि की क्षतिपूर्ति, सड़क निर्माण व उन्नयन, पशु टीकाकरण कार्य, वाहन क्रय, प्रचार–प्रसार, सम्मेलन इत्यादि कार्य लिए जाते हैं। विगत तीन वर्षो में इन कार्यों हेतु स्वीकृत राशि एवं आर्थिक उपलब्धि का विवरण तालिका 3.11 में है।

तालिका 3.11

(राशि लाख रूपए में)

वर्ष	आर्थिक लक्ष्य	आर्थिक उपलब्धि
2008–09	1187.51	854.68
2009–10	774.67	641.99
2010–11	894.90	146.92 (दिसंबर 2010 तक)

3.2.2 प्रोजेक्ट टाइगर

इस योजना के अंतर्गत केन्द्र शासन व्दारा राज्य के बाघ परियोजना क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। योजना में आवर्ती व्यय का 50 प्रतिशत तथा अनावर्ती व्यय का 100 प्रतिशत केन्द्र शासन से प्राप्त होता है। आवर्ती व्यय की शेष राशि राज्य शासन वहन करता है। सहायता राशि से बाघ परियोजना क्षेत्रों में वन्यप्राणी के रहवास सुधार एवं संरक्षण तथा अधोसंरचना सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाता है। विगत तीन वर्षो में स्वीकृत राशि एवं उपलब्धियों का विवरण तालिका 3.12 में दर्शित है।

तालिका 3.12

(राशि लाख रूपए में)

वर्ष	आर्थिक लक्ष्य	आर्थिक उपलब्धि
2008–09	5999.60	5855.85
2009–10	27153.59	4767.08
2010–11	23096.75	618.19 (दिसंबर 2010 तक)

वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में भारत सरकार से प्रावधन अनुरूप राशि प्राप्त न होने के कारण राशि के व्यय में कमी आई।

3.2.3 केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के माध्यम से वन्य प्राणी विकास

इस योजना के अंतर्गत केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण व्दारा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, भोपाल हेतु सहायता दी जाती है। योजना में आवर्ती व्यय का 50 प्रतिशत तथा अनावर्ती व्यय का 100 प्रतिशत केन्द्र शासन से प्राप्त होता है। आवर्ती व्यय की शेष राशि राज्य शासन वहन करता है। विगत तीन वर्षो में इस योजना में किये गये व्यय का विवरण तालिका 3.13 में है।

तालिका 3.13

(राशि लाख रूपये में)

वर्ष	आर्थिक लक्ष्य	आर्थिक उपलब्धि
2008–09	38.50	30.99
2009–10	8.50	7.98
2010–11	40.00	15.52 (दिसंबर 2010 तक)

3.2.4 वनों में आधुनिक अग्नि सुरक्षा योजना

वानिकी कार्यों में अग्नि सुरक्षा उच्च प्राथमिकता का कार्य है, क्योंकि अग्नि से प्राकृतिक वनों और विशेषतः रोपण क्षेत्रों एवं पुनरुत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव होता है। वनों में आधुनिक अग्नि सुरक्षा की योजना 2004–05 से प्रारम्भ हुई है। कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुरूप अग्नि सुरक्षा कार्य प्रति वर्ष फरवरी से जून के मध्य कराये जाते हैं। इन कार्यों में मुख्यतः अग्नि पंक्ति (फायर लाइन) का जलाना व रखरखाव, तथा वन क्षेत्रों की चौकीदारों द्वारा सुरक्षा सम्मिलित हैं। इसके अन्तर्गत वनों को अग्नि की क्षति से बचाव हेतु आधुनिक उपकरण जैसे वायरलेस एवं वाहनों की खरीदी की जाकर वनों की सुरक्षा की जाती है। विगत तीन वर्षों में इस योजना में प्राप्त आर्थिक लक्ष्य के विरूद्व उपलब्धि तालिका 3.14 में दर्शित है।

तालिका 3.14

(राशि लाख रूपये में)

वर्ष	आर्थिक लक्ष्य	आर्थिक उपलब्धि
2008–09	1059.00	445.37
2009–10	1991.97	466.31
2010–11	2020.00	212.78 (दिसंबर 2010 तक)

वर्ष 2008–09 में प्रावधानित राज्यांश रूपए 264.75 लाख तथा केन्द्रांश रूपए 794.25 लाख में से राज्यांश रूपए 111.34 लाख व्यय किया गया तथा शेष राशि (रूपए 153.18 लाख) समर्पित की गई। केन्द्रांश रूपए 334.03 लाख व्यय किया गया, तथा अवशेष राशि (रूपए 460. 22 लाख) के रिवैलिडेशन हेतु केन्द्र शासन से कार्यवाही प्रचलित है। भारत सरकार से राशि प्राप्त न होने के कारण राशि के व्यय में कमी आई।

3.3 केन्द्र क्षेत्रीय योजनाएं

3.3.1 राष्ट्रीय जल तंत्र संरक्षण कार्यक्रम

इस योजना के अंतर्गत माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी एवं रातापानी अभयारण्य, ओबेदुल्लागंज में स्थित झीलों के संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। योजना 2006–07 से प्रारम्भ की गई है। विगत तीन वर्षों की आर्थिक उपलब्धि तालिका 3.15 अनुसार है।

तालिका क्र. 3.15

(राशि लाख रूपये में)

वर्ष	आर्थिक लक्ष्य	आर्थिक उपलब्धि
2008–09	37.50	19.72
2009–10	54.00	33.00
2010–11	59.00	0.00 (दिसंबर 2010 तक)

भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण 2010–11 में राशि व्यय नहीं की जा सकी है।

3.4 विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

3.4.1 यू.एन.डी.पी.–जी.ई.एफ. प्रोजेक्ट

केन्द्र शासन द्वारा मध्य प्रदेश के लिए नवम्बर 2009 में रूपए 25 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है, जिसका नाम 'Integrated Land and Ecosystem Management to Combat Land Degradation and Deforestation in M.P.' (यू.एन.डी.पी. – जी.ई.एफ. प्रोजेक्ट) है। योजना की अवधि 5 वर्ष है, तथा योजना राशि अनुदान के रुप में जी.ई.एफ. से यू.एन.डी.पी. के माध्यम से प्राप्त होगी। वर्ष 2010 के कार्यों हेतु जून 2010 में परियोजना संचालन के लिए रूपए 234.98 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई है। बैतूल, छिंदवाड़ा, उमरिया, सीधी एवं सिंगरौली जिलों में क्रियान्वित की जा रही इस योजना में बिगड़े बांस वनों का सुधार, ऊर्जा वन, चारागाह विकास, जलग्रहण प्रबंधन, बाड़ी में वृक्षारोपण तथा कृषि व पशुपालन विकास के कार्य लिये जा रहे हैं। इनके अतिरिक्त वन समितियों का क्षमता विकास तथा वन उत्पादों पर आधारित लघु एवं मध्यम उद्यमों का विकास भी किया जाएगा।

3.4.2 संरक्षित क्षेत्रों के बाहर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण परियोजना

वन विभाग द्वारा प्रदेश में भारत सरकार एवं संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) के सहयोग से ''संरक्षित क्षेत्रों के बाहर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण परियोजना'' लागू की जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत प्रदेश में विभिन्न समुदायों द्वारा वनों एवं वन्यप्राणियों के संरक्षण हेतु किये जा रहे उपायों को अभिलेखित किया जायेगा तथा दो चयनित स्थलों में समुदायों के इन प्रयासों को सफल एवं संवहनीय बनाने हेतु सहयोग दिया जायेगा। शत प्रतिशत अनुदान प्राप्त इस परियोजना का क्रियान्वयन सितंबर 2009 से प्रारंभ किया गया है। परियोजना की कुल लागत रू. 5.50 करोड़ (11,80,000 यू.एस. डॉलर) है।

इसके तहत पूरे प्रदेश में संरक्षित क्षेत्रों के बाहर समुदायों द्वारा संरक्षित किये जा रहे क्षेत्रों का एटलस/डायरेक्ट्री तैयार की जायेगी। इसके अतिरिक्त दो समुदाय संरक्षित क्षेत्रों (परियट नदी मगरमच्छ संरक्षण क्षेत्र, जिला जबलपुर तथा कारोपानी कृष्णमृग संरक्षण क्षेत्र, जिला डिंडोरी) की सूक्ष्म योजनाओं का क्रियान्वयन किया जायेगा, जिससे इससे संबद्ध समुदाय उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के संवहनीय उपयोग से लाभान्वित हो सकें। परियोजना से प्राप्त अनुभवों का भविष्य में अन्य कार्यक्रमों में उपयोग एवं विस्तार किया जाएगा।

– – – – –

भाग – चार
महत्वपूर्ण उपलब्धियां

4.1 वन्य प्राणी संरक्षण

मध्य प्रदेश में वन्यप्राणी संरक्षित क्षेत्र 10,895 वर्ग किलोमीटर है। प्रदेश में 10 राष्ट्रीय उद्यान एवं 25 वन्यप्राणी अभयारण्य हैं। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा एवं संजय राष्ट्रीय उद्यानों को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। करेरा एवं घाटीगांव अभयारण्य विलुप्तप्राय दुर्लभ पक्षी सोनचिड़िया के संरक्षण के लिये, सैलाना एवं सरदारपुर एक अन्य विलुप्तप्राय दुर्लभ पक्षी, खरमोर के संरक्षण के लिये तथा 3 अभ्यारण्य (चम्बल, केन एवं सोन घड़ियाल) जलीय प्राणियों के संरक्षण के लिये गठित किये गये हैं। भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को आधुनिक चिड़ियाघर के रूप में मान्यता प्राप्त है। डिंडोरी जिले में घुघवा में एक फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है, जहां 6 करोड़ वर्ष पुराने वृक्षों के फॉसिल संरक्षित किये गये हैं। धार जिले में वर्ष 2011 में एक नया राष्ट्रीय उद्यान 'डायनोसोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, बाग' स्थापित किया गया है जहां लगभग 6 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म उपलब्ध हैं।

प्रदेश को मुख्य पहचान देने वाली वन्य प्राणी प्रजातियां हैं – बाघ, मगर, डॉल्फिन, घड़ियाल, तेन्दुआ, गौर, बारासिंघा, काला हिरण, खरमोर एवं सोन चिड़िया। संरक्षित क्षेत्रों के गठन से स्थानीय ग्रामवासियों को जिन कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, उन्हे दूर करने के लिए इन क्षेत्रों से लगे ग्रामों में ईको विकास के कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। राज्य शासन द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण को उच्च प्राथमिकता दी गई है। वन्यप्राणी संरक्षण हेतु केन्द्र शासन से विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत अनुदान प्राप्त होता है।

4.1.1 सिंह पुनर्वास कार्यक्रम

एशियाई सिंहों के पुनर्वास हेतु केन्द्र सरकार की पहल पर राज्य में कूनो पालपुर अभ्यारण्य से ग्रामीणों की सहमति से 24 ग्रामों के 1545 परिवारों को पुनर्वासित किया जा चुका है। इसके लिये भारत शासन से अभी तक रूपए 15.45 करोड़ की राशि विमुक्त की गई है। पुनर्वासित ग्रामीणों की अचल संपत्ति के आकलन उपरान्त मुआवजे की राशि रूपए 4.71 करोड़ राज्य शासन के बजट से विभाग द्वारा कलेक्टर को उपलब्ध करा दी गई है, तथा रहवास सुधार तथा प्रे–बेस विकास हेतु भी कार्य किये जा रहे हैं। गुजरात सरकार द्वारा सिंह देने से मना करने पर केन्द्र शासन द्वारा देश के अन्य चिड़ियाघरों से एशियाई सिंह लाने की अनुमति दी गई है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण लंबित है।

4.1.2 वन्य प्राणी संरक्षण की अन्य गतिविधियां

संरक्षित क्षेत्रों में सुविधाओं के विकास के फलस्वरूप पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। विगत वर्षों में पर्यटकों की संख्या तथा उनसे हुई आय तालिका 4.1 अनुसार रही।

तालिका 4.1

वर्ष	पर्यटकों की संख्या (लाखं)	अर्जित आय (लाख रूपये)
2007–08	8.18	893.35
2008–09	9.42	970.99
2009–10	11.44	1038.15

पर्यटकों की सुविधा के लिये कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, एवं पेंच टाइगर रिजर्व में ऑन लाईन बुकिंग की व्यवस्था की गई है।

भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय वन्यप्राणी अपराध अन्वेषण ब्यूरो का क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में खोला गया है, जिसका कार्यक्षेत्र मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड एवं उड़ीसा राज्य है। इस कार्यालय से अंतर्राज्यीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय शिकारियों के मामले में रोकथाम करने में मध्यप्रदेश को विशेष लाभ मिल सकेगा। वन्यप्राणी अपराध रोकने के लिये राज्य शासन द्वारा

टाइगर स्ट्राइक फोर्स का गठन किया गया है। इस फोर्स के पांच आंचलिक केन्द्र इन्दौर, सागर, इटारसी, जबलपुर और सतना में स्थित हैं। वनों के समीपस्थ बसाहटों में भटककर आने वाले वन्यप्राणियों को पकड़ने के लिए 9 रेस्क्यू स्क्वॉड गठित किए गए हैं। वन्यप्राणी के अवयवों की तस्करी को रोकने हेतु 2 श्वानों तथा उनके 4 हैण्डलर्स को प्रशिक्षित कर होशंगाबाद एवं जबलपुर में रखा गया है।

4.1.3 वन्यप्राणी गणना

बाघों की संख्या का आकलन एवं उनके रहवास का मूल्यांकन पूर्व में वर्ष 2006 में भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के सहयोग से किया गया था, जिसके अनुसार राज्य में 15,614 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में शेरों की तथा 34,736 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में तेन्दुओं की उपस्थिति प्रमाणित हुई थी। उक्त आकलन में बाघों की संख्या 236 से 364 के बीच (औसत 300) आंकी गई। वर्ष 2010 में वन्यप्राणी गणना का कार्य पूर्ण कर आंकड़ें भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून को भेजे गये हैं, जिसके परिणाम अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

4.1.4 मानव तथा वन्यप्राणियों के बीच द्वंद कम करने के प्रयास

वन सीमा से पांच कि.मी. की परिधि में स्थित ग्रामों में वन्य प्राणियों द्वारा फसल हानि किए जाने पर संबंधित व्यक्तियों को फसल हानि का मुआवजा दिये जाने का प्रावधान है। मुआवजे का निर्धारण राजस्व अधिकारियों द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किए जाने के उपरांत भुगतान वन मंडलाधिकारी द्वारा किया जाता है। वन्यप्राणियों द्वारा पालतू पशुओं को मारे जाने पर भी क्षतिपूर्ति का प्रावधान है, तथा क्षतिपूर्ति की अधिकतम राशि राजस्व पुस्तक परिपत्र के अनुसार निर्धारित की जाती है।

किसी भी वन्य प्राणी (सांप व गुहेरा को छोड़कर) द्वारा जन हानि किए जाने पर भी क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। जन हानि के प्रकरणों में एक लाख रूपये तथा इलाज पर किया गया संपूर्ण व्यय मृतक के उत्तराधिकारी को दिया जाता है। इसके अतिरिक्त स्थाई अपंगता होने पर रूपये 75,000 और वन्यप्राणी द्वारा घायल किए गए व्यक्ति के इलाज पर रूपये 20,000 तक की राशि की प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है।

4.1.5 वन्य प्राणी संवर्द्धन की अन्य उपलब्धियां

4.1.5.1 बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में गौर की पुनर्स्थापना

बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में गौर प्रजाति को पुनः स्थापित करने हेतु तैयार की गई योजना के अनुसार कान्हा से 20 गौर का झुंड बांधवगढ़ लाकर पुनर्स्थापित करने का प्रस्ताव था। योजना की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सितंबर 2007 में दी गई। जनवरी 2011 में 19 गौरों को सफलतापूर्वक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के 50 हेक्टेयर के बाड़े में स्थानांतरित किए जाने के साथ इस योजना को सफलता पूर्वक पूर्ण किया गया। वन विभाग द्वारा भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून तथा दक्षिण अफ्रीका के तीन विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में देश में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में विशालकाय शाकाहारी जीवों का पुनर्स्थापन किया गया हैं। इस योजना के द्वारा संकटग्रस्त प्रजाति को एक संरक्षित क्षेत्र से दूसरे संरक्षित क्षेत्र में स्थापित करने में सफलता प्राप्त हुई है। इस अभूतपूर्व अनुभव के माध्यम से मध्यप्रदेश वन विभाग तथा भारतीय वन्यजीव संस्थान को गौर को पकड़कर परिवहन करने में दक्षता प्राप्त हुई है।

4.1.5.2 पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की पुनर्स्थापना

मध्यप्रदेश में स्थित पन्ना बाघ रिजर्व में बाघ प्रजाति को पुनर्स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत चार बाघिनों एवं दो बाघों को लाया जाना है। इस बाघ रिजर्व में अभी तक दो बाघिनें एवं एक बाघ की पुनर्स्थापना की गयी है। यहां लायी गयी दोनों बाघिनों द्वारा शावकों को जन्म दिया गया है, जो विशेष उपलब्धि है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से निकट भविष्य में दो और बाघिनें पन्ना टाइगर रिजर्व में लायी जाएंगी।

4.1.5.3 टाइगर रिजर्व के बफर जोन की अधिसूचना

प्रदेश के पांच टाइगर रिजर्व (पेंच, बांधवगढ़, कान्हा, सतपुड़ा एवं संजय) में बफर जोन की अधिसूचना जारी की गई। पन्ना टाइगर रिजर्व में बफर जोन की अधिसूचना हेतु प्रक्रिया जारी है। टाइगर रिजर्व में वन्यप्राणी संरक्षण प्रबंधन की दृष्टि से बफर जोन का गठन एक महत्वपूर्ण उपाय है। बफर क्षेत्र में स्थानीय ग्रामीणों के किसी प्रकार के अधिकार जैसे निस्तार, लघु वनोपज संग्रहण, चराई एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के प्रदत्त अधिकार प्रतिबंधित नहीं रहेंगे।

वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 यथा संशोधित 2006 के अंतर्गत प्रत्येक टाइगर रिजर्व के लिए बफरजोन घोषित किया जाना आवश्यक है। बफर क्षेत्र क्रिटिकल टाइगर हैबिटैट या कोर क्षेत्र के चारों ओर का वह क्षेत्र है, जहां कोर क्षेत्र की तुलना में कम प्रतिबंध की आवश्यकता होती है एवं यह क्रिटिकल हैबिटैट की समग्रता के लिए आवश्यक है। बफर क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य बाघ एवं अन्य प्रजातियों के विचरण के लिए पर्याप्त क्षेत्र उपलब्ध कराने के साथ–साथ स्थानीय लोगों का जीविकोपार्जन एवं विकास सुनिश्चित करना भी होता है। बफर क्षेत्र की अधिसूचना, ग्रामसभाओं से विचार विमर्श एवं विशेषज्ञ समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किए जाने का प्रावधान है।

4.1.5.4 डायनोसोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा दिनांक 12.1.2011 को राज्य में एक नया राष्ट्रीय उद्यान, ''डायनोसोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, बाग'' स्थापित करने के आशय की अधिसूचना जारी की गई है। जिला धार के तहसील कुक्षी तथा वन परिक्षेत्र बाग के 89.740 हेक्टेयर वन क्षेत्र को इस राष्ट्रीय उद्यान में सम्मिलित किया गया है। यह क्षेत्र लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पुराने डायनोसोर जीवाश्मों की प्राप्ति के कारण पारिस्थितिकीय, प्राणि जातीय, वनस्पतीय, भूआकृति विज्ञान, प्राणि विज्ञानिकीय और जीवाश्म की दृष्टि से पर्याप्त महत्व का है।

4.2 वन संरक्षण

4.2.1 वन सरंक्षण की गतिविधियां

प्रदेश के वनों पर बढ़ते जैविक दबाव के कारण वन संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है। जनभागीदारी एवं क्षेत्रीय इकाईयों की सक्रियता से वन अपराधों पर नियंत्रण के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग द्वारा विगत तीन वर्षो में पंजीबद्ध वन अपराध प्रकरणों का विवरण तालिका 4.2 में दर्शित है।

तालिका 4.2

वर्ष	वन अपराध प्रकरणों की संख्या				
	अवैध कटाई	अवैध शिकार	अतिक्रमण	अन्य	योग
2008	49,912	628	773	9,882	61,195
2009	58,025	740	1,017	11,258	71,040
2010	43,382	818	1,380	7,312	52,892[1]

1 अनंतिम।

अतिसंवेदनशील वनक्षेत्रों में बीट व्यवस्था के स्थान पर सामूहिक गश्त हेतु वन चौकियों की स्थापना की गई है। अब तक 339 वन चौकियां स्थापित की गई हैं। वन चौकियों पर गठित गश्ती दलों के लिए 12 बोर की 2,600 नई बन्दूकें प्रदाय की गई हैं। वनोपज परिवहन पर निगरानी हेतु 131 बैरियरों का सुदृढ़ीकरण किया गया है। संचार व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु 4,500 वायरलेस सेट, 5,000 मोबाईल फोन, 900 पी.डी.ए. एवं 900 बायनोक्यूलर प्रदाय किए गए हैं। परिक्षेत्र अधिकारी स्तर तक के अधिकारियों को प्रदाय हेतु 274 रिवाल्वर/ पिस्टल का क्रय किया जा रहा है।

वन अपराधों पर नियंत्रण एवं त्वरित कार्यवाही हेतु प्रत्येक वन वृत्त में उड़नदस्ता दल कार्यरत है। उड़नदस्ता दल में पर्याप्त संख्या में वनकर्मी, शस्त्र एवं वाहन उपलब्ध हैं। ऐसे क्षेत्रों, जहां संगठित वन अपराधों की संभावना है, में विशेष सशस्त्र बल की 3 कम्पनियां भी तैनात की गयी हैं।

वन सुरक्षा में लगे वन कर्मियों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197(2) के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान की गई है, ताकि आवश्यकता के अनुरूप बन्दूकों के उपयोग उपरान्त उन्हें वैधानिक कठिनाई न हो। वन सुरक्षा के लिए गोपनीय सूचनाएं एकत्र करने के लिए मुखबिर तंत्र विकसित किया गया है। वन अपराध की सूचना देने वाले व्यक्तियों को पारितोषिक दिये जाने हेतु गुप्त निधि बनाई गई है, तथा 'मध्य प्रदेश वन सुरक्षा पुरस्कार नियम 2004' के अंतर्गत वन अपराध सिद्ध होने पर वन अपराध का पता लगाने में, अपराधी को पकड़ने में, अपराधी की दोषसिद्धि में या वनोपज तथा अन्य वस्तुओं की जप्ती में सहायता देने वाले व्यक्तियों को अधिकतम रूपए 25,000 का पुरस्कार दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

4.2.2 वन सुरक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग

वन सुरक्षा के अनुश्रवण हेतु इन्टरनेट आधारित 'वन अपराध प्रबंधन प्रणाली' (एफ.ओ.एम.एस.) विकसित की गई है। इसके अंतर्गत अपराधों के पंजीयन, उनकी जांच, अभिसंधान, वसूली, न्यायालय में चालान इत्यादि कार्यवाही की सतत समीक्षा की जाती है। अग्नि दुर्घटनाओं की सामयिक जानकारी प्राप्त करने हेतु 'अग्नि सचेतन संदेश प्रणाली' (फायर एलर्ट मेसेजिंग सिस्टम) विकसित की गई है।

वन अपराध की सूचना देने के लिए भोपाल में राज्य स्तरीय वन अपराध सूचना केंद्र की स्थापना की गई है। इस केंद्र के फोन नंबर 155312 अथवा 1800 233 4396 पर निःशुल्क डायल कर कोई भी व्यक्ति प्रदेश में कहीं से वन अपराध संबंधी गोपनीय सूचना 24 घंटे में कभी भी दे सकता है।

4.2.3 भारतीय वन अधिनियम में संशोधन

भारतीय वन अधिनियम 1927 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2009–10 में संशोधन किया गया। इस संशोधन में मुख्य रूप से अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत जुर्माने की राशि को रूपए 1,000 से बढ़ाकर रूपए 15,000 किया गया है। वन अपराध में दुष्प्रेरण हेतु भी दण्ड तथा जप्त किये गये वाहन को उसकी कीमत जमा करने पर सुपुर्दगी में देने का प्रावधान किया गया है।

4.2.4 काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम में संशोधन

काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम में संशोधन किया गया है। संशोधन उपरांत चक्राकार आरा (कटर), जिसका व्यास 12 इंच से अधिक न हो, को आरामिल के पंजीयन से दी गई छूट समाप्त हो गयी है। वनों की अवैध कटाई पर नियंत्रण की दिशा में यह संशोधन एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

4.3 हरियाली कार्यक्रम

4.3.1 उच्च गुणवत्ता के पौधों की तैयारी एवं निर्वर्तन

वर्षा ऋतु 2010 में प्रदाय हेतु विभागीय बजट मद 10–2406 (6397) लोक वानिकी एवं रोपणियों में पौधा तैयारी मद के अंतर्गत अनुसंधान एवं विस्तार वृत्तों की रोपणियों में 31 मार्च 2010 की स्थिति में विभिन्न प्रजातियों के 386 लाख पौधे तैयार किये गये, जिसमें से शासकीय विभागों, संस्थाओं, कृषकों एवं निजी व्यक्तियों को उनकी मांग के अनुसार वर्षा ऋतु 2010 में लगभग 275 लाख पौधे वितरित किये जा चुके हैं।

वर्ष 2011 के रोपण हेतु अनुसंधान एवं विस्तार वृत्तों की रोपणियों में नये पौधों की तैयारी, विगत वर्ष के अवशेष पौधों के रखरखाव, बीज संग्रहण, बीज उत्पादन क्षेत्रों का

रखरखाव एवं रोपणी उन्नयन हेतु रूपए 599 लाख का आबंटन वर्ष 2010–11 में किया गया है। आबंटित राशि से विभिन्न प्रजाति के नये पौधों की तैयारी का कार्य प्रचलित है।

मध्य प्रदेश वन विकास अभिकरण के माध्यम से लगभग 44 लाख पौधों की तैयारी हेतु रूपए 125.57 लाख की राशि अनुसंधान एवं विस्तार वृत्तों को विमुक्त की गई है।

4.3.2 हरियाली महोत्सव

प्रदेश में वर्ष 2007 से हरियाली महोत्सव के अंतर्गत वर्षा ऋतु में व्यापक रोपण कार्य कराया जा रहा है। इसके अंतर्गत वन विभाग द्वारा वर्ष 2009–10 में 4.29 करोड़ पौधे रोपित किए गए थे। वर्ष 2010–11 में 6.38 करोड़ पौधे रोपित किए गए, जो कि गत वर्ष की तुलना में लगभग 43 प्रतिशत अधिक है।

4.3.2.1 पर्यावरण वानिकी

वित्तीय वर्ष 2010–11 में समस्त क्षेत्रीय वनमंडलों, अनुसंधान एवं विस्तार वृत्तों एवं राजधानी परियोजना प्रशासन, भोपाल को रूपए 551.42 लाख का आबंटन किया गया है। पर्यावरण वानिकी योजना के अंतर्गत वर्ष 2010–11 में 559 हेक्टेयर में 3,63,450 एवं 975 स्कूलों में 1,10,938 पौधे रोपित किए गए हैं। वर्ष 2011–12 की वर्षा ऋतु हेतु वनमंडलों की आवश्यकता अनुसार पौधा तैयारी का कार्य प्रगति पर है।

4.3.2.2 बांस वर्ष 2010

राज्य शासन द्वारा वर्ष 2010 को बांस वर्ष के रूप में मनाये जाने का निर्णय लिया गया। बांस वर्ष 2010 में वन विभाग द्वारा कुल 3.19 करोड़ बांस के पौधे रोपित किये गये, जिसमें से 1.24 करोड़ बांस के पौधे वन एवं वनेत्तर क्षेत्रों में वन समितियों के माध्यम से जन भागीदारी सुनिश्चित करते हुए रोपित किये गये।

ग्रामीणों में बांस रोपण के प्रति व्यापक जनजागृति लाने हेतु प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, रीवा, सागर एवं सिवनी अनुसंधान एवं विस्तार वृत्तों के अंतर्गत बांस इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थापित किये जा रहे हैं। वर्ष 2010 में अनुसंधान एवं विस्तार वृत्तों द्वारा विभाग, पंचायत एवं अन्य संस्थानों, कृषकों एवं अन्य व्यक्तियों को कुल 148 लाख बांस पौधों का वितरण रोपण हेतु किया गया।

4.3.2.3 महुआ वर्ष 2011

वनवासी समाज की आजीविका में महुआ के विशिष्ट महत्व को देखते हुये राज्य शासन द्वारा वर्ष 2011 को महुआ वर्ष के रूप में मनाये जाने का निर्णय लिया गया है। महुआ के फूल एवं बीज दोनों का वनवासी समुदाय द्वारा व्यापक उपयोग किया जाता है। विशेष तौर पर सूखे के सालों में भी महुआ के उत्पाद लोगों की खाद्यान्न सुरक्षा के अलावा आमदनी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्ष के दौरान शासकीय एवं निजी भूमि पर बड़े पैमाने पर वनवासी समुदायों को जोड़ते हुए 20 लाख महुआ के पौधे रोपित करने का लिर्णय लिया गया है। इस महती कार्य हेतु पौधा तैयारी का कार्य प्रचलन में है। अधिकाधिक संख्या में महुआ के पौधों का रोपण सुनिश्चित करने के लिये जनप्रतिनिधियों, पंचायतों, आम जनता एवं प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से व्यापक अभियान चलाया जायेगा।

4.3.3 लोकवानिकी

लोक वानिकी अधिनियम के अंतर्गत भूमिस्वामियों के निजी वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु भूमिस्वामी द्वारा प्रस्तुत प्रबंध योजना पर 30 दिवस में समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है। अभी तक 10 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल की 2,932 योजनाएं सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत की गई हैं। इसके अतिरिक्त 10 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल की 31 प्रबंध योजनाएं भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई हैं। लोक वानिकी योजना के अंतर्गत भूमि स्वामियों को उनकी विदोहित काष्ठ के एवज में मार्च 2009 तक 1640 प्रकरणों में रूपए 27.61 करोड़ का भुगतान किया गया है। निजी रोपण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए लोक वानिकी नियम 2002 का सरलीकरण किया जा रहा है।

विस्तार योजना के अंतर्गत 173 किसान सम्मेलन, 52 कार्यशालाएं एवं 8 अध्ययन प्रवास आयोजित किए गए, जिसमें 27,822 कृषकों, कर्मचारियों तथा वानिकी–विदों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। प्रदेश में अब तक 8,252 भूमि स्वामियों के पास उपलब्ध कुल 27,072 हेक्टेयर वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों की पहचान की गई है।

4.4 वन (संरक्षण) अधिनियम 1980

4.4.1 वन भूमि व्यपवर्तन के प्रकरणों में स्वीकृति की स्थिति

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु व्यपवर्तन की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी जाती है। प्रकरणों की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है –

कुल प्राप्त प्रकरण –	1124	
अंतिम चरण की स्वीकृति –	734	(व्यपवर्तित वन क्षेत्र – 1,34,367.513 हेक्टेयर)
अस्वीकृत प्रकरण –	186	
शेष लंबित प्रकरण –	204	

शेष लंबित 204 प्रकरणों की स्थिति निम्नानुसार है –

अंतिम स्वीकृति हेतु लंबित –	118	(आवेदक विभाग स्तर पर 108, भारत सरकार को प्रेषित 10)
प्रथम चरण स्वीकृति हेतु लंबित –	86	(आवेदक विभाग स्तर पर 55, वनमंडल कार्यालय स्तर पर 1, मुख्यालय स्तर पर 2 तथा भारत सरकार को प्रेषित 28)

4.4.2 एक हेक्टेयर से कम वन भूमि का व्यपवर्तन

भारत सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत जनवरी 2005 से कुछ शर्तों के अधीन शासकीय विभागों को एक हेक्टेयर से कम वन भूमि के व्यपवर्तन की स्वीकृति के अधिकार राज्य शासन को प्रत्यायोजित किए गये थे। इस अधिकार के उपयोग की समय सीमा 31 दिसम्बर 2008 तक बढ़ाई गई थी। भारत सरकार द्वारा यह अवधि उनके पत्र दिनांक 11.9. 2009 द्वारा 31 दिसम्बर 2013 तक उन क्षेत्रो के लिए बढ़ाई गई है, जो अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की परिधि के बाहर हैं।

इसके अंतर्गत स्कूल, अस्पताल, विद्युत व संचार लाईनें, पेय जल की व्यवस्था, रेनवाटर हारवेस्टिंग, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, व्यावसायिक प्रशिक्षण केद्र, विद्युत सब स्टेशन, छोटी सिंचाई नहरें, संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस स्थापना जैसे कि पुलिस स्टेशन, आउट पोस्ट, वाच टावर इत्यादि निर्माण कार्य लिए जा सकते हैं। 31 दिसम्बर 2010 तक वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत कुल 276 प्रकरण स्वीकृत किये गये, जिसका कुल व्यपवर्तित क्षेत्रफल 94.701 हेक्टेयर है।

भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अधीन शासकीय विभागों द्वारा वन भूमि पर किये जा रहे स्वीकृति प्राप्त कार्यो के लिये लेफ्ट विंग एक्स्ट्रीमिज्म प्रभावित बालाघाट जिले में एक हेक्टेयर के स्थान पर अब अधिकतम दो हेक्टेयर तक के प्रकरणों पर स्वीकृति का अधिकार राज्य शासन को प्रदान किया गया है। इस अधिकार का उपयोग वनमण्डलाधिकारियों द्वारा किया जाएगा। यह छूट उन जिलों पर भी लागू होगी जो कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भविष्य में लेफ्ट विंग एक्स्ट्रीमिज्म प्रभावित क्षेत्र घोषित किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने 18 जनवरी 2011 से योजना आयोग द्वारा चिन्हित अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, सिवनी, शहडोल, सीधी, एवं उमरिया जिलों के लिए भी अधिकतम दो हेक्टेयर तक के प्रकरणों में स्वीकृति के अधिकार राज्य शासन को प्रदान किए हैं।

4.4.3 वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि का व्यपवर्तन

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 की धारा 3 (2) के तहत ग्राम सभा की अनुशंसा पर एक हेक्टेयर से कम वन भूमि, जिस पर प्रति हेक्टेयर 75 से अधिक वृक्ष नहीं काटे जाएंगे, निम्न विकास कार्यो के लिए व्यपवर्तन हेतु निर्धारित शर्तो पर स्वीकृति के अधिकार प्रावधानित किये गये –

पाठशालाएं, चिकित्सालय, आंगन बाड़ी, उचित मूल्य की दूकानें, विद्युत एवं दूरसंचार लाईनें, टंकियां और अन्य लघु जलाशय, पेयजल की आपूर्ति हेतु जल प्रदाय के लिए पाईप लाईनें, जल या वर्षा जल संचयन संरचनाएं, लघु सिंचाई नहरें, अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत, कौशल उन्नयन व व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, सड़कें तथा सामुदायिक केन्द्र।

स्वीकृति हेतु विस्तृत प्रक्रिया भारत सरकार के पत्र दिनांक 18 मई 2009 द्वारा जारी की गई है, तथा राज्य शासन द्वारा इस संबंध में निर्देश दिनांक 29.5.2009 को जारी किए गए हैं। दिनांक 31.12.2010 की स्थिति में 376 प्रकरण स्वीकृत किये गये हैं, जिनका कुल व्यपवर्तित क्षेत्रफल 184.166 हेक्टेयर है।

4.4.4 प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत मार्गो के उन्नयन की स्वीकृति

भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 30.4.2005 के तारतम्य में वन क्षेत्र से गुजर रहे मार्गों के उन्नयन हेतु मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग के ज्ञापन दिनांक 17.5.2005 द्वारा वन मंडलाधिकारी को 25.10.1980 के पूर्व के कच्चे मार्गों के उन्नयन हेतु (डामरीकरण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के बाद) सशर्त अनुमति जारी करने के लिये अधिकृत किया गया है। इसके अंतर्गत 31 दिसम्बर 2010 की स्थिति में 1933 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 1850 प्रकरणों में स्वीकृति जारी की गई। वन संरक्षण अधिनियम एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति हेतु 64 प्रकरण आवेदक विभाग को लौटाए गए, 2 प्रकरण वनमंडल स्तर पर प्रचलित हैं, तथा 16 प्रस्ताव अपूर्ण एवं 1 प्रस्ताव वन क्षेत्र से बाहर का पाया गया।

राज्य शासन के पत्र दिनांक 21.11.2006 में उपलब्ध मार्ग में ही राईट ऑफ वे के तहत स्वीकृति हेतु समस्त वन मंडलाधिकारियों को निर्देश दिये गये। भारत सरकार के 2006 की पर्यावरणीय अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में उक्त योजनांतर्गत सड़कों के उन्नयन हेतु अलग से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

4.4.5 कैम्पा से प्राप्त राशि का उपयोग

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.10. 2002 के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा) से प्राप्त राशि के उपयोग के संबंध में निम्नानुसार निकाय तथा समितियों का गठन किया गया –

1. मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 11.8.2009 द्वारा माननीय मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में नीति निर्धारण तथा समीक्षा हेतु शासी निकाय का गठन किया गया। माननीय मंत्री, वन विभाग, वित्त विभाग एवं योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा अन्य अधिकारी इस निकाय के सदस्य हैं। सचिव, वन विभाग इस निकाय के सदस्य–सचिव हैं।
2. मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 11.8.2009 द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समिति (स्टियरिंग कमेटी) का गठन किया गया। अन्य अधिकारी सदस्यों के अतिरिक्त भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रतिनिधि एवं अशासकीय संगठन के दो प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) सदस्य–सचिव हैं।
3. मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग के आदेश दिनांक 31.7.2009 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया। अन्य अधिकारी सदस्यों के अतिरिक्त अशासकीय संगठनों के दो प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) सदस्य–सचिव हैं।

भारत सरकार के उक्त निर्देशों के अनुसरण में एड–हॉक कैम्पा मद में जनवरी 2011 तक रूपये 984.81 करोड़ की राशि जमा की जा चुकी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अगस्त 2009 में भारत सरकार से प्राप्त राशि रूपए 53.04 करोड़ से 215 वनीकरण योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। द्वितीय किश्त के रूप में अक्टूबर 2010 में प्राप्त रूपए 50.96 करोड़ से 39 वनीकरण योजनाओं एवं एन.पी.व्ही. मद से वन संरक्षण एवं विकास के कार्यों का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

4.5 वन भू–अभिलेख

4.5.1 वनग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करना

मध्य प्रदेश के 29 जिलों में 925 वन ग्राम हैं, जिनमें से 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने के जिलेवार प्रस्ताव भारत सरकार को जनवरी 2002 से जनवरी 2004 तक की अवधि में प्रेषित किए गए हैं। 925 वनग्रामों में से 15 वीरान एवं 17 विस्थापित हैं, 27 राष्ट्रीय उद्यानों में और 39 अभ्यारण्यों में स्थित हैं। इन 98 वनग्रामों के लिए प्रस्ताव भारत सरकार को नहीं भेजे गये हैं। 827 वन ग्रामों में से 310 वनग्रामों के लिए भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2002 से जनवरी 2004 के मध्य सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है। शेष 517 वन ग्रामों के प्रकरण भारत सरकार स्तर पर विचाराधीन हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24.2.2004 द्वारा भारत सरकार की उक्त स्वीकृति पर स्थगन जारी किया गया है।

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 के अनुसार वनग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसके लिए ग्राम सभा में दावा प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है। मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के परिपत्र दिनांक 7.6.2009 द्वारा सभी जिलाध्यक्षों तथा वन मंडलाधिकारियों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत दावा प्राप्त होने पर वनग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तन करने संबंधी आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

4.5.2 वन राजस्व सीमांकन

राज्य शासन के निर्देशानुसार वन एवं राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त सीमांकन की कार्यवाही की जा रही है। वन सीमा से लगे ग्रामों की कुल संख्या 19,924 है, जिसमें से 19,488 (98 प्रतिशत) ग्रामों के सीमा विवाद का निराकरण किया जा चुका है। शेष 436 ग्रामों में मुख्यतः नक्शे उपलब्ध न हो पाने के कारण निराकरण में कठिनाई हो रही है।

राजस्व विभाग द्वारा वनभूमि को राजस्व भूमि मानकर दिए गए पट्टों को सीमा विवाद हल करने की प्रक्रिया में चिन्हित एवं निरस्त करने की जानकारी निम्न तालिका 4.3 में दर्शित है।

तालिका 4.3

पट्टे का प्रकार	चिन्हांकित संख्या	निरस्त संख्या	निरस्त रकबा (हेक्टेयर)
कृषि	28,655	10,764	14,216
उत्खनन	17	17	22
आवासीय	447	181	19
योग	**29,119**	**10,962**	**14,257**

4.5.3 वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा वन भूमि के अधिकारों का व्यवस्थापन

भारतीव वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के अन्तर्गत प्रस्तावित आरक्षित वन अधिसूचित किये जाते हैं। प्रस्तावित आरक्षित वनों के वन खण्डों की धारा 5 से 19 तक की विधिक कार्यवाही करने हेतु वन व्यवस्थापन अधिकारियों की नियुक्तियां की जाती हैं। 1988 से वन व्यवस्थापन के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को पदेन वन व्यवस्थापन अधिकारी बनाया गया है, परंतु यह कार्य विभिन्न कारणों से पूर्ण नहीं होने पर वन विभाग द्वारा दिसम्बर 2003 में वन

व्यवस्थापन अधिकारियों हेतु मार्गदर्शी निर्देश एवं प्रक्रिया संकलित कर जिलाध्यक्ष के माध्यम से समस्त वन व्यवस्थापन अधिकारियों को भेजी गई तथा उनका प्रशिक्षण भी जिला स्तर पर कराया गया।

इसके उपरांत भी वन व्यवस्थापन के कार्य में वांछित प्रगति प्राप्त नहीं होने के कारण मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग के परिपत्र दिनांक 10.5.2006 द्वारा इस कार्य हेतु सेवानिवृत्त उप जिलाध्यक्षों को संविदा आधार पर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। प्रारंभ में 11 जिलों के लिए स्वीकृति दी गई। इस स्वीकृति के विरूद्ध वर्तमान में छिन्दवाड़ा, सागर, सतना एवं गुना जिलों में सेवानिवृत्त उप जिलाध्यक्षों को संविदा आधार पर वन व्यवस्थापन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

वर्तमान में 6,520 वनखंडों में 30,04,624 हेक्टेयर भूमि के संबंध में प्रस्तावित वन व्यवस्थापन की कार्यवाही लंबित है। मुख्य सचिव द्वारा दिनांक 23 दिसंबर 2010 को परख कार्यक्रम के अंतर्गत की गई वन व्यवस्थापन कार्य की समीक्षा के उपरांत मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग के पत्र दिनांक 3.1.2011 द्वारा निर्देश जारी किए गए कि जिन व्यवस्थापन प्रकरणों में भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 6 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी हुए अत्यधिक समय हो चुका है, उन प्रकरणों में पुनः धारा 6 की उद्घोषणा जारी की जाये। जिलों में अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व) की कमी के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि जिले में पदस्थ अन्य उप जिलाध्यक्षों को इस कार्य के लिए अनुविभागवार अधिकृत किया जाये। इस कार्य के लिए अधिकृत उप जिलाध्यक्ष को जिले के एक से अधिक अनुविभागों में भी व्यवस्थापन का कार्य सौंपा जा सकता है।

4.6 संयुक्त वन प्रबंधन

राष्ट्रीय वन नीति के अनुसरण में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये वन विभाग ने संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा को अंगीकार किया है। वन सुरक्षा एवं वन विकास के समस्त कार्यों में जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिये मध्य प्रदेश शासन द्वारा 22 अक्टूबर 2001 को संशोधित संकल्प पारित किया गया है, जिसमें तीन प्रकार की संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के गठन करने का प्रावधान है – सघन वन क्षेत्रों में वन सुरक्षा समिति, बिगड़े वन क्षेत्रों में ग्राम वन समिति, तथा संरक्षित क्षेत्रों में ईको विकास समिति।

संकल्प के अनुसार वोट देने का अधिकार रखने वाले समस्त ग्रामीण आम सभा के सदस्य होंगे। राज्य शासन द्वारा वर्ष 2008 में संकल्प की कंडिका 5.2 को संशोधित करते हुए अध्यक्ष पद के एक–तिहाई पद महिलाओं हेतु आरक्षित किये गये हैं। साथ ही अध्यक्ष व उपाध्यक्ष में से एक पद पर महिला का होना अनिवार्य किया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति व पिछड़ा वर्ग के सदस्यों का अनुपात ग्राम सभा में यथासंभव इनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा, तथा कार्यकारिणी में न्यूनतम 33 प्रतिशत महिलाएं होंगी।

वन समितियों की कुल संख्या 15,228 है, जिनके द्वारा प्रबंधित क्षेत्रफल की जानकारी इस प्रतिवेदन के प्रथम अध्याय में दी गई है।

4.6.1 वन समितियों को लाभांश का वितरण

म.प्र. शासन ने 2008 में निर्णय लिया है कि वन समितियों को लाभांश का प्रदाय 2001 के संकल्प के अनुसार किया जाये, अर्थात इमारती लकड़ी के लाभ का 10 प्रतिशत एवं बांस के लाभ का 20 प्रतिशत। विगत वर्षों में निम्नानुसार लाभांश वितरण तालिका 4.4 में दर्शित है।

तालिका 4.4

वर्ष	लाभांश (रूपए करोड़ में)
2007–08	26.98
2008–09	23.55
2009–10	21.42
2010–11	32.71

4.6.2 वन समिति सदस्यों को दी जा रही सुविधाएं

जन भागीदारी आधारित संयुक्त वन प्रबंधन समिति के सदस्यों को 11,742 एल.पी.जी. कनेक्शन, 15,233 प्रेशर कुकर, 2401 राशन कार्ड तथा समिति सदस्यों को सर्दी से बचाव हेतु 47,000 कम्बलों का वितरण किया गया है। समितियों के 1008 सदस्यों को सायकिल तथा 105 महिला सदस्यों को सिलाई की मशीनें जीवन स्तर सुधारने हेतु उपलब्ध करायी गयी है। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के अंतर्गत वर्तमान में 36 राशन की दुकानें संयुक्त वन प्रबंध समितियों द्वारा संचालित की जा रही हैं। अन्य समितियों में और दुकानें खोलने की कार्यवाही त्वरित गति से की जा रही है। पी.डी.एस. की दुकानों के संचालन, रिकार्ड संधारण, भण्डारण, वितरण एवं लेखा संधारण के संबंध में सदस्यों को प्रशिक्षित किया जावेगा।

राशन की दुकान संचालित करने के लिये संयुक्त वन प्रबंध समिति की कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की जायेगी। समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सह–सचिव तथा कार्यकारिणी सदस्यों को इस कार्य में सहभागिता दी जायेगी। राशन की दुकान संचालित करने पर समिति को कमीशन की प्राप्ति होगी। इस कमीशन से समिति के पदाधिकारियों, सदस्यों आदि को मानदेय देने के लिये समिति आवश्यक निर्णय ले सकेगी। संयुक्त वन प्रबंधन समिति को राशन की दुकान स्वीकृत हो जाने के उपरान्त उपलब्ध गोदाम/सामुदायिक भवन को दुकान के रूप में संचालित करने के लिये आवश्यक उपकरण जैसे कि बाट, कांटा, कैरोसिन के लिये ड्रम इत्यादि की आवश्यक व्यवस्था समिति द्वारा की जायेगी। राशन कार्ड की उपलब्धता, पी0डी0एस0 की दुकानों के संचालन, प्रेशर कुकर तथा एल0पी0जी0 गैस के उपयोग से ग्रामीणों को उपलब्ध होने वाले अतिरिक्त समय को उनके द्वारा आजीविका के अन्य संसाधनों जैसे कि लाख उत्पादन, टसर उत्पादन आदि कार्यों में उपयोग किया जा रहा है।

4.6.3 शहीद अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार

मध्यप्रदेश शासन ने प्रतिवर्ष वन रक्षा एंव वन संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों के लिये शहीद अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार दिये जाने का निर्णय लिया है। वर्ष 2001 से 2005 तक तीन वर्गों में पुरस्कार दिए गए हैं, तथा 2006 से शासकीय एवं अशासकीय व्यक्तियों को व्यक्तिगत पुरस्कार पृथक–पृथक दिए जाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में कुल पांच वर्गो में पुरस्कार दिए जा रहे हैं। वन रक्षा एवं वन संवर्द्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्था को एक लाख रूपये नकद एवं प्रशस्ति–पत्र प्रदान किया जाता है। वन रक्षा एवं संवर्द्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति (शासकीय एवं अशासकीय) को पचास–पचास हजार रूपये नकद तथा प्रशस्ति–पत्र प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार वन्यप्राणियों की रक्षा में अदम्य साहस व सूझबूझ का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति (शासकीय एवं अशासकीय) को पचास–पचास हजार रूपये नकद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2009 के पुरस्कार हेतु प्रस्ताव प्राप्त कर लिए गए हैं, चयन समिति की बैठक शीघ्र प्रस्तावित है। इसके पूर्व के वर्षों में प्रदत्त पुरस्कारों के विजेताओं के नाम निम्न तालिका में दर्शित हैं –

वर्ष	पुरस्कृत संस्था	वन रक्षा एंव वन संवर्द्धन के लिए पुरस्कृत व्यक्ति	वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए पुरस्कृत व्यक्ति
2001	ग्राम वन समिति ताल पिपरिया, छिन्दवाड़ा	श्री वीर सिंह तथा श्री सूरसिंह, बड़वानी	श्री श्रीराम सारन, हरदा
2002	ग्राम वन समिति बगदरी, नरसिंहपुर	स्व. श्री मुन्शीलाल पटेल, नरसिंहपुर	श्री रविकान्त मिश्रा, स.व.स., पेंच टाइगर रिजर्व
2003	ग्राम वन समिति कोसमघाट, मण्डला	श्री रामगोपाल विश्नोई, खण्डवा	श्री गुलाब सिंह ककोड़िया एवं श्री सोहनलाल पाण्डेय, सिवनी
2004	ग्राम वन समिति चरी, टीकमगढ़	श्री एम.के.बडोले, तहसीलदार, नेपानगर, बुरहानपुर	श्री मनीष कुलश्रेष्ठ, जबलपुर
2005	ग्राम वन समिति इच्छापुर, बुरहानपुर	श्री जयराम मीणा, श्योपुर	डॉ. ए.बी. श्रीवास्तव, जबलपुर
2006	ग्राम वन समिति जालमपुर पठार, गुना	श्री चन्द्रशेखर चतुरमोहता, बालाघाट (अशास.) एवं श्री आत्माराम कुण्डले, बुरहानपुर (शास.)	सुश्री मंजुला श्रीवास्तव, कटनी (अशास.) एवं श्री प्रभात कुमार दुबे, छिंदवाड़ा (शास.)
2007	ग्राम वन समिति रूपाखेड़ा, झाबुआ	श्री सत्यपाल जैन, मण्डला (शास.)	श्री वेद प्रकाश विश्नोई, हरदा (अशास.) एवं श्री चन्द्रभान सिंह, वनपाल, उमरिया (शास.)
2008	वन सुरक्षा समिति सीवल, बुरहानपुर	श्री केशरी सिंह खंगार, जबलपुर (अशास.) एवं श्री अजय मिश्रा, वन रक्षक, पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमण्डल (शास.)	श्री हीरालाल यादव, टीकमगढ़ (अशास.) एवं श्री सुभाष उईके, वन रक्षक, दक्षिण बालाघाट वनमण्डल (शास.)

4.6.4 बसावन मामा स्मृति वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार

मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2008 में वन्य प्राणी संरक्षण हेतु पुरस्कार की निम्न दो श्रेणियों की घोषणा की गई –

(1) विंध्य क्षेत्र हेतु पुरस्कारः यह पुरस्कार शासकीय तथा अशासकीय व्यक्तियों के लिए होगा, जिन्हें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार क्रमशः रूपए 2.00 लाख, 1.00 लाख तथा 50 हजार के दिए जाएंगे। यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जा सकेगा।

(2) राज्य स्तरीय पुरस्कारः निजी भूमि पर उत्कृष्ट वृक्षारोपण के लिए यह पुरस्कार दो श्रेणियों में दिया जाएगा – 5 हेक्टेयर से अधिक तथा 5 हेक्टेयर से कम भूमि पर, 5 वर्ष से अधिक उम्र के उत्कृष्ट वृक्षारोपण हेतु। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार क्रमशः रूपए 2.00 लाख, 1.00 लाख तथा 50 हजार के दिए जाएंगे।

इन पुरस्कारों के लिए नामांकन प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं।

4.6.5 वन विकास अभिकरण

वन विकास अभिकरण, संयुक्त वन प्रबंध समितियों का शीर्ष संगठन है। इसके माध्यम से वन समितियों द्वारा मुख्य रूप से वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है। आस्थामूलक कार्य, सूक्ष्म प्रबंध योजना निर्माण, भू एवं जल संरक्षण कार्य, जागरूकता प्रशिक्षण आदि इसके अन्य घटक हैं। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक अभिकरण का पदेन अध्यक्ष तथा क्षेत्रीय वन मण्डलाधिकारी पदेन मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है। जिले के विकास विभाग के प्रतिनिधि, जिलाध्यक्ष के प्रतिनिधि तथा वन समितियों के प्रतिनिधि वन विकास अभिकरण की सामान्य सभा के सदस्य होते हैं।

वर्तमान में प्रदेश में 57 क्षेत्रीय वन मण्डलों के वन विकास अभिकरणों में 1693 वन समितियां वृक्षारोपण कार्यों में क्रियाशील हैं। 2008–09 में 34 वन विकास अभिकरणों में 16,434

हेक्टेयर क्षेत्र में 65.73 लाख पौधों का रोपण किया गया। 2009–10 में 17,942 हेक्टेयर क्षेत्र में 71.76 लाख पौधों का रोपण किया गया है। वर्ष 2010–11 के लिए भारत सरकार द्वारा रू. 30. 52 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, एवं जनवरी 2011 तक रूपए 13.66 करोड़ की राशि वन विकास अभिकरणों द्वारा व्यय की गई है।

विगत अप्रैल 2010 में राज्य स्तर पर **मध्य प्रदेश राज्य वन विकास अभिकरण** का गठन किया गया है। भविष्य में भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि राज्य वन विकास अभिकरण के माध्यम से जिलों को प्रदाय की जावेगी। इस प्रक्रिया से प्रचलित कार्यों में तेजी लाई जा सकेगी।

4.6.6 वन ग्राम विकास योजना

प्रदेश के 867 वन ग्रामों में विकास कार्य क्रियान्वित किये जा रहे हैं। इन कार्यों के लिए रूपए 259.94 करोड़ की परियोजना विभिन्न चरणों में भारत शासन से स्वीकृत हुई है। 30 जून 2010 की स्थिति में रूपए 235.65 करोड़ की राशि उपयोग में ली गई है, जिसके अंतर्गत वन ग्रामों में अधोसंरचना विकास कार्य जैसे जल संसाधनों का विकास (तालाब, ट्यूबवेल, हैण्डपंप, कुआं, स्टॉप डैम निर्माण), सामुदायिक केन्द्र, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केन्द्र, सड़क, रपटा, पुलिया निर्माण एवं ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराना आदि लिये गए हैं। कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है। आंतरिक मूल्यांकन के अतिरिक्त कार्यों का मूल्यांकन राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर तथा भारतीय वन प्रबंध संस्थान, भोपाल द्वारा भी किया जा रहा है।

वनग्रामों के उत्थान के लिए रूपए 165.51 करोड़ की नई योजना तैयार की जा रही है। इसके अंतर्गत महिला सशक्तिकरण, जीविकोपार्जन, पेयजल व्यवस्था, कृषि तथा ऊर्जा विकास, अधोसंरचना विकास कार्य के अतिरिक्त सामाजिक गतिविधियों का संचालन प्रस्तावित है।

4.6.7 बुन्देलखण्ड पैकेज

भारत के योजना आयोग द्वारा 'नेशनल रेनफेड एरिया एथॉरिटी' (एन.आर.ए.ए.) के माध्यम से मध्य प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र को विकसित करने के लिये परियोजना का संचालन बुन्देलखण्ड पैकेज के रूप में किये जाने का निर्णय लिया गया है। बुन्देलखण्ड पैकेज के अंतर्गत मध्य प्रदेश के छह जिलों (सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना तथा दतिया) का चयन किया गया है। इसके अंतर्गत वन समितियों के माध्यम से भू एवं जल संरक्षण कार्य के साथ सिल्वी पाश्चर कार्य क्रियान्वित किया जा रहा है।

योजना अवधि तीन वर्षों (2009–10, 2010–11 एवं 2011–12) के लिये है, जिसके लिए तालिका 4.5 के अनुसार तीन मदों से राशि प्राप्त होनी है।

तालिका 4.5

(राशि करोड़ रूपए में)

योजना / बजट मद	कुल प्रावधान	2009–10 में प्राप्त राशि	2010–11 में विमुक्त राशि	दिसम्बर 2010 की स्थिति में प्राप्त राशि
एडिशनल सेन्ट्रल असिसटेन्स (ए.सी.ए.)	107.00	23.52	83.48	60.97
नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम (एन.ए.पी.)	20.00	–	10.32	10.32
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	115.00	–	–	–
योग	**242.00**	**23.52**	**93.80**	**71.29**

ए.सी.ए. के अंतर्गत प्राप्त राशि में से नवंबर 2010 तक रूपए 10.40 करोड़ की राशि व्यय की गई है। ए.सी.ए. तथा एन.ए.पी. के 2010–11 एवं 2011–12 के परियोजना प्रस्ताव तैयार कर योजना आयोग, एन.आर.ए.ए. तथा एन.ए.ई.बी. को प्रेषित किये गए हैं। एम.एन.आर.ई. जी.एस. के अंतर्गत 7,471 हेक्टेयर हेतु रूपए 8.97 करोड़ की राशि के प्रस्ताव मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायतों को भेजे जा चुके हैं।

4.7 आजीविका

वनों के समीप रहने वाले ग्रामवासी दैनंदिन आवश्यकताओं की पूर्ति तथा जीविकोपार्जन के लिए मुख्यतः वनों पर निर्भर हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों पर निरंतर दबाव बना रहता है। वन उत्पादों पर आधारित उद्यमों तथा अन्य वैकल्पिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विभाग प्रयासरत है, ताकि ग्रामों का सामाजिक–आर्थिक विकास भी संभव हो एवं वनों पर बढ़ते जैविक दबाव में कमी लायी जा सके।

जन संकल्प 2008 में वन विभाग को यह लक्ष्य दिया गया है कि वृक्षारोपण, वन संरक्षण, वनोपज आधारित कुटीर उद्योग आदि क्षेत्र में 25,000 वनवासी युवकों के लिए रोजगार के नये अवसर सृजित किए जाएं। इसकी पूर्ति के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है, जिसमें तालिका 4.6 के अनुसार गतिविधियां सम्मिलित की गई हैं।

तालिका 4.6

वर्ष	उद्यमों का प्रकार	संभावित आजीविका के अवसरों की संख्या
2009–10	लाख क्रय एवं प्रसंस्करण, सबई घास, बांस आधारित कॉमन फेसिलिटी सेन्टर, चिन्दी से रस्सी निर्माण, दोना पत्तल निर्माण, आंवला प्रसंस्करण	7,250
2010–11	दोना पत्तल निर्माण, अगरबत्ती काड़ी निर्माण, केतकी रेशा रस्सी निर्माण, मधुमक्खी पालन व शहद प्रसंस्करण, महुआ फूल एवं महुआ गुल्ली प्रबंधन, वन रोपणी, बांस हितग्राही, ईकोपर्यटन	6,871
2011–12	मधुमक्खी पालन व शहद प्रसंस्करण, मेडिसनल प्लांटस रिसोर्स ऑगमेन्टेशन, महुआ फूल एवं गुल्ली प्रबंधन	5,512
2012–13	वर्मी कम्पोस्ट, लैन्टाना चारकोल निर्माण, आसवन केन्द्र, पलाश फूल चूर्ण, बेल चूर्ण एवं प्रसंस्करण, मोमबत्ती निर्माण, हर्बल कलर्स निर्माण, चिरौंजी प्रसंस्करण, मसाला निर्माण, बांस आधारित उद्यम	5,767
	योग	**25,400**

आजीविकाओं के अवसर सृजन करने की दृष्टि से बालाघाट, छतरपुर, पन्ना, डिण्डोरी, मण्डला, छिंदवाड़ा, खण्डवा, होशंगाबाद, सागर एवं सिवनी जिले प्रमुख हैं। 2009–10 में 6,947 युवकों हेतु आजीविका उपलब्ध कराई गई। 2010–11 में लगभग 6,871 आजीविका सृजन का लक्ष्य था, जिसके विरूद्ध 4,217 आजीविकाओं का सृजन चिन्दी से रस्सी निर्माण, बांस फर्नीचर व ट्री गार्ड निर्माण, वर्मी कम्पोस्ट, सबई रस्सी निर्माण आदि क्षेत्रों में किया गया है।

4.7.1 लाख की खेती

प्रदेश में लाख की खेती के माध्यम से दूरस्थ आदिवासी अंचलों में रोजगार बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। लाख संसाधन की वृद्धि हेतु तीन वर्षों में लाख की 40 नर्सरियों की स्थापना का लक्ष्य है, जिसमें से 2010–11 में 10 नर्सरियां स्थापित की जा चुकी हैं। तीन वर्षों के दौरान

3100 कृषकों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है, तथा चालू वित्तीय वर्ष में 920 कृषकों को अबतक प्रशिक्षित किया गया है।

लाख उत्पादन की यह गतिविधि मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ के अंतर्गत प्रारंभ की गई है। अन्य सहयोगी विभाग जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, आयुष विभाग, एवं ग्रामीण विकास विभाग हैं।

वर्ष 2009–10 में प्रदेश के दस जिलों में लाख को एक वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट वनोपज घोषित किया गया, तथा लाख का संग्रहण प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से किया गया। उक्त वर्ष में पलाश लाख के क्रय हेतु रूपये 3,750 प्रति क्विंटल एवं कुसुम लाख के क्रय हेतु रूपये 4,500 प्रति क्विंटल की दरें निर्धारित की गई। अब लाख के समर्थन मूल्य पर क्रय की व्यवस्था प्रस्तावित है। लघु वनोपज संघ द्वारा 2009–10 में 334.07 क्विंटल एवं 2010–11 में अब तक 102.99 क्विंटल लाख संग्रहण किया गया। इसके निर्वर्तन से अर्जित लाभ का 60 प्रतिशत प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में, 20 प्रतिशत वनों के पुनरुत्पादन हेतु, तथा शेष भाग ग्राम की मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु दिया जाएगा।

4.7.2 टसर उत्पादन

आजीविका उपलब्ध कराने हेतु टसर उत्पादन को तेजी से विकसित करने की वन एवं रेशम विभाग द्वारा संयुक्त रणनीति बनाई गई है। वनक्षेत्रों में टसर उत्पादन हेतु साजा, अर्जुन एवं साल के वृक्ष पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं। तीन वर्षों में 30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में टसर पालन का विस्तार किया जाएगा। इस योजना से 12,000 हितग्राही लाभान्वित होंगे।

वर्ष 2009–10 में 140 लाख टसर ककून का उत्पादन हुआ, जिसे बढ़ाकर अगले तीन वर्षों में कुल 900 लाख ककून करने का लक्ष्य है। वर्ष 2010–11 में अब तक 9,373 हेक्टेयर क्षेत्र में कीट पालन का लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है, तथा 168 लाख ककून प्राप्त हुए हैं, जिनसे 177 ग्रामों के 5,600 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। प्राकृतिक वनों में कोसा पालन के लिये उपयुक्त वन क्षेत्रों की पहचान करके समितियों के माध्यम से हितग्राहियों का चयन किया जायेगा। नये वन क्षेत्रों में विस्तार के लिये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत कोसा पालन के लिये वृक्षारोपण कार्य भी किया जाएगा, तथा चयनित हितग्राहियों के क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे।

टसर उत्पादन से जुड़ी प्रस्तावित गतिविधियां तालिका 4.7 में दर्शित है।

तालिका 4.7

गतिविधि	तीन वर्ष के लिये लक्ष्य	वर्ष 2010–11	
		लक्ष्य	उपलब्धि (दिसम्बर 2010 तक)
1. कीट पालन (हेक्टेयर)	30,000	5,000	9,373
2. ककून (संख्या लाख में)	900	150	168.08
3. वन्या उपयोजना वृक्षारोपण (हेक्टेयर)	12,000	2,000	1,672
4. हितग्राहियों की संख्या	12,000	5,000	5,600
5. लाभान्वित ग्रामों की संख्या	.	.	177

4.7.3 चारागाह विकास

वनों के समीप बसे ग्रामवासी पालतू मवेशियों को वनों मे चरने के लिए छोड़ देते हैं, जिससे वनों का पुनरूत्पादन प्रभावित होता है। चराई के इस बढ़ते दबाव को कम करने के लिए वनों के समीपवर्ती गांवों में उपलब्ध भूमि पर चारागाह विकास की गतिविधि वर्ष 2007–08 में प्रारंभ की गई है। इस गतिविधि से दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि हो सकेगी, जो कि ग्रामीणों की आजीविका का अतिरिक्त साधन है। इसके अंतर्गत पशुचारा की दृष्टि से उपयोगी प्रजातियों का

वृक्षारोपण एवं बीज बुवाई का कार्य किया जाता है। विगत वर्षों में किए गए वृक्षारोपण की जानकारी तालिका 4.8 में दर्शित है।

तालिका 4.8

वर्ष	ग्रामों की संख्या	रोपित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
2007–08	577	13,943
2008–09	227	3,973
2009–10	126	2,826
2010–11	223	10,403

4.8 सूचना प्रौद्योगिकी

वर्तमान सामाजिक एवं राष्ट्रीय परिदृश्य में अनुशासन, पारदर्शिता, त्वरित नागरिक सेवा एवं प्रशासनिक दक्षता के लिये सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग अनिवार्यता बन चुका है। वन विभाग के लक्ष्यों एवं जन अपेक्षाओं की पूर्ति के लिये वन विभाग में गत कुछ वर्षों से वन व वन्य जीवों के संरक्षण तथा प्रबंधन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग हेतु प्रभावी पहल की गई है। विभागीय गतिविधियों में कसावट, पारदर्शिता एवं दक्षता लाने के लिये समस्त सूचनाओं के संग्रहण, प्रबंधन एवं आवश्यकतानुसार जानकारी प्राप्त करने के लिये वेब आधारित सॉफ्टवेयर मॉड्यूल तैयार किये जा रहे हैं। उपयोग में लाई गई इन तकनीकों में भौगोलिक सूचना प्रणाली, मोबाइल कम्प्यूटिंग एवं दूरसंचार तकनीक प्रमुख हैं। समस्त सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन वेब व कार्य प्रभाव पर आधारित हैं।

4.8.1 प्रबंध सूचना प्रणाली

अग्नि सचेतन संदेश प्रणाली (फॉयर एलर्ट मेसेजिंग सिस्टम) में सुदूर संवेदन के माध्यम से जंगल में लगी आग का पता लगाकर इसकी भू–स्थानिक स्थिति समेत सूचना संबंधित अधिकारियों को मोबाईल फोन पर दी जाती है। यह एप्लिकेशन वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अग्नि सुरक्षा कार्यो का अनुश्रवण करने में अत्यंत सहायक सिद्ध हुआ है। वन्य प्राणी प्रबंधन प्रणाली (वाईल्ड लाईफ मैनेजमेंट सिस्टम) संरक्षित क्षेत्रों में वन्यप्राणियों के निवास स्थानों, जनसंख्या, घनत्व व वन्य प्राणियों की निगरानी रखने में मदद करती है। यह प्रणाली उपयोगकर्ता को वन्य प्राणियों की भू–स्थानिक जानकारी के साथ उनकी उपस्थिति में साक्ष्य के चित्र लेने में भी मदद करती है।

विभाग द्वारा भूमि सर्वेक्षण हेतु तैयार किये गए 'वन वासियों का सर्वेक्षण प्रणाली' (फॉरेस्ट ड्वेलर्स सर्वे सिस्टम) के माध्यम से आदिमजाति कल्याण विभाग द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे परम्परागत वन निवासियों के वनाधिकारों की मान्यता नियम के अन्तर्गत भूमि का सर्वेक्षण एवं अभिलेख निर्माण का कार्य सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा वन अपराध प्रबंध प्रणाली (फॉरेस्ट ऑफेंस मैनेजमेंट सिस्टम), वन वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (फॉरेस्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम) आदि का भी विकास किया गया है।

4.8.2 भौगोलिक सूचना प्रणाली

वन क्षेत्रों के सभी नक्शों का डिजिटाईजेशन किया जा चुका है एवं ये डिजिटल नक्शों के रूप में संग्रहित हैं। समस्त क्षेत्रीय इकाईयों के डिजीटल नक्शों को मिलाकर सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के वन क्षेत्रों का एकीकृत डिजिटल मानचित्र तैयार कर लिया गया है। इन डिजिटाईज्ड नक्शों का क्षेत्रीय अधिकारी 'जीयो फॉरेस्ट एप्लिकेशन' के माध्यम से उपयोग कर सकते हैं।

4.8.3 विभागीय डेटा सेंटर एवं कम्प्यूटर आधारित संचार व्यवस्था की स्थापना

विभागीय आंकड़ों के सुरक्षित भण्डारण एवं संधारण हेतु भोपाल मुख्यालय में राज्य स्तर का विभागीय डेटा सेंटर स्थापित किया गया है। यह डेटा सेंटर जिला स्तर के कार्यालयों से 2

एमबीपीएस लीज्ड लाईन के माध्यम से जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यालय इन्टरनेट के द्वारा इससे जुड़कर विभागीय एप्लिकेशन्स का उपयोग करते हैं। आंकड़ो का संग्रहण वृहद रूप में सूचना प्रबंध प्रणाली एवं डिजिटल नक्शों के रूप में किया गया है।

वन विभाग की सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा कई अन्य राज्यों के शासकीय विभागों व संगठनों को सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित तकनीकी सहायता एवं परामर्श दिया जा रहा है तथा डिजिटल मानचित्र तकनीक का हस्तांतरण इत्यादि सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इससे गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आदि राज्य लाभान्वित हुए हैं।

4.8.4 वित्तीय उपलब्धि

वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत किए गए आबंटन तथा व्यय की जानकारी तालिका 4.9 में दर्शित है।

तालिका 4.9

(राशि लाख रूपए में)

बजट मद	2009–10		2010–11	
	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय (दिसंबर 2010 तक)
1. योजना शीर्ष 3877 – 12 मजदूरी	30.16	26.40	24.70	19.67
2. आधुनिक अग्नि सुरक्षा योजना	448.46	376.21	1059.19	230.15
3. प्रशासन सुदृढीकरण	231.57	207.22	59.83	24.22
4. प्रशिक्षण	3.00	2.27	4.50	2.74
योग	**713.19**	**612.10**	**1148.22**	**276.78**

4.9 विभाग को प्राप्त पुरस्कार एवं प्रशस्तियां

4.9.1 सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पुरस्कार

सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा विकसित मोबाईल एप्लिकेशन को 'वर्ल्ड समिट अवार्ड – मोबाईल 2010' पुरस्कार एवं वन वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को 'सी.एस.आई. निहिलेन्ट ई–गर्वनेंस' पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वन विभाग में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग हेतु किये गये प्रयासों की पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सराहना की गई है। विभाग को डिजिटल इम्पॉवरमेंट फाउण्डेशन का साऊथ एशिया मंथन पुरस्कार, भारत सरकार का राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस पुरस्कार (स्वर्ण) तथा एन.आई.सी. का 'वेब–रत्न' स्वर्ण आईकॉन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा विकसित विभिन्न एप्लिकेशन हेतु निम्नानुसार अवार्ड प्राप्त हुए हैं –

- बेस्ट एप्लिकेशन सूचना प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2010
- राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस पुरस्कार 2009 एवं 2010
- डेटा क्वेस्ट ई–चैम्पियन पुरस्कार 2009
- ई.एम.पी.आई. – इंडियन एक्सप्रेस पुरस्कार 2010
- एम–बिलियन पुरस्कार 2010

4.9.2 वन्य प्राणी संरक्षण हेतु पुरस्कार

(1) राज्य शासन द्वारा उत्कृष्ट वन्यप्राणी सुरक्षा एवं प्रबंधन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से वन्यप्राणी संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले निम्न कर्मचारियों/ अधिकारियों को पचास हजार रूपये नकद तथा प्रशस्ति पत्र 7 अक्टूबर 2010 को महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रदान किए गए –

वर्ष 2010

- श्री ए.के. खरे, सहायक वन संरक्षक, सहायक संचालक, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, भोपाल
- श्री संजीव कुमार शर्मा, वन क्षेत्रपाल, वन परिक्षेत्र अधिकारी, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पचमढ़ी
- श्री गुलाबराय नवानी, उप वन क्षेत्रपाल, उड़न दस्ता प्रभारी, सिवनी वृत्त
- स्व0 श्री रामकुमार आदिवासी, वनपाल, कूनो वन्यप्राणी वनमण्डल, श्योपुर
- श्री गज्जुराम कोली, वनपाल, माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी
- श्री विनोद कुमार जोसफ, वन रक्षक, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, भोपाल

वर्ष 2009

- श्री ओमप्रकाश पटेल, वन क्षेत्रपाल, कान्हा टाइगर रिजर्व, मण्डला
- श्री गोविन्द नारायण शुक्ला, वनपाल, कटनी वनमण्डल
- श्री इन्द्रजीत सिंह लोधी, वन रक्षक, इन्दौर वनमण्डल
- श्री के.के. सिंह, वन रक्षक, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, भोपाल

(2) सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 2010 का 'विजिटर फ्रेंडली वाइल्ड लाईफ डेस्टिनेशन' पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार ट्रेवल ऑपरेटर्स फॉर टाईगर्स द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ प्रबंधित राष्ट्रीय उद्यान को प्रदान किया जाता है।
(3) डॉ. एच.एस. पाबला, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) को वर्ष 2010 में माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा मध्य प्रदेश शासन, पर्यटन विभाग की ओर से 'टूरिस्ट फ्रेंडली फॉरेस्टर' का पुरस्कार दिया गया।

4.9.3 शहीद अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार

मध्यप्रदेश शासन द्वारा शहीद अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार वर्ष 2008 के लिए निम्न दो वन कर्मचारियों को सितम्बर 2010 में पुरस्कृत किया गया है –

(1) श्री अजय मिश्रा, वन रक्षक, परिक्षेत्र सांवरी, पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमण्डल को वन संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु रूपए 50,000 का पुरस्कार दिया गया।
(2) श्री सुभाष उईके, वन रक्षक, दक्षिण बालाघाट वनमण्डल को वन्यप्राणी रक्षा के लिए उत्कृष्ट कार्य हेतु रूपए 50,000 का पुरस्कार दिया गया।

———————

भाग – पांच
महिलाओं के लिए किए गए कार्य

वन विभाग की नीतियों व योजनाओं में महिलाओं को उपयुक्त स्थान दिया गया है। विभाग द्वारा राज्य की महिला नीति का पालन किया जा रहा है। नीति के अंतर्गत वन विभाग में प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में नोडल अधिकारी के रूप में मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी की नियुक्ति की गई है तथा मुख्यालय में महिलाओं के लिए मध्यान्ह भोजन कक्ष की तथा अन्य मूलभूत सुविधाएं दी गई हैं।

कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के संबंध में कार्यालय में महिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है तथा कार्यालय में विषय से संबंधित शिकायत पेटी स्थापित है।

राज्य की महिला नीति का पालन करते हुये महिलाओं की ईंधन संबंधी कठिनाईयों को कम करने के उद्देश्य से विभाग के सीमित संसाधनों से कार्य आयोजना के प्रावधान के अनुरूप जलाऊ लकड़ी का वृक्षारोपण किया जाता है। वर्ष 2009–10 में 109 गॉवों में 4,841 हेक्टेयर में जलाऊ लकड़ी का वृक्षारोपण एवं 126 गॉवों के 2,826 हेक्टेयर में चारागाह का रोपण किया गया।

विभाग में वन रक्षकों के पद पर भरती के लिए 10 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे गए हैं। विभाग में चल रहे क्षेत्रीय कार्यो के लिए श्रमिकों के नियोजन में भी महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के पुरुषों के समान ही पारिश्रमिक दिया जाता है।

संयुक्त वन प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत भी महिलाओं को महत्व प्रदान किया गया है। प्रदेश में गठित संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की कार्यकारिणी में 33 प्रतिशत महिलाओं की सदस्यता आरक्षित की गई है। इसके अतिरिक्त वन समितियों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पदों में से एक पद पर महिला की नियुक्ति अनिवार्य की गई है तथा प्रदेश की समस्त वन समितियों में से एक तिहाई समितियों में अध्यक्ष के पद महिलाओं के लिये आरक्षित किये गए हैं।

प्रदेश में लघु वनोपज का संग्रहण सहकारिता के माध्यम से किया जाता है। इसके अंतर्गत गठित प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों की कार्यकारणी में कुल 15 सदस्यों मे से 11 निर्वाचित प्रतिनिधि रहते है, जिसमें दो महिला प्रतिनिधि का होना अनिवार्य किया गया है। जिला यूनियन की कार्यकारिणी समिति में कुल 16 सदस्य होते हैं, जिनमें से 10 निर्वाचित सदस्य होते हैं। इनमें भी दो महिला सदस्यों का होना अनिवार्य किया गया है। तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्य में नियुक्त फड़ मुशियों में से यथा–संभव 50 प्रतिशत महिलाओं को नियुक्त करने के निर्देश भी है। मध्य प्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड द्वारा चिन्हांकित ईकोपर्यटन गंतव्य स्थलों के महिला स्व–सहायता समूहों की महिलाओं को पारंपरिक एवं अभिनव शिल्प कला जैसे पेपर मैशे, बांस एवं लकड़ी आधारित शिल्प आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

कूप का चिन्हांकन, विदोहन, निस्तार कार्यो हेतु उपलब्ध रोजगार कार्यो में लगभग 50 प्रतिशत कार्य महिलाओं को प्राप्त होता है। निस्तार नीति के अंतर्गत जलाऊ प्रदाय का सीधा लाभ परिवार की महिलाओं को प्राप्त होता है।

– – – – –

भाग – छः
सारांश

बढ़ती हुई आबादी और संसाधनों की मांग से वनों पर बढ़ते हुए दबाव के कारण वनों के संरक्षण तथा संर्वधन की दिशा में अनेकों चुनौतियां हैं। वनों के साथ–साथ वनों में पाये जाने वाले जीव–जन्तु और जैविक विविधिता को बनाये रखने की चुनौती भी वन विभाग के समक्ष है। शासन द्वारा इन चुनौतियों का सामना करने के लिए वन विभाग को आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जाते हैं। सीमित वित्तीय संसाधनों का उपयोग करते हुए वन विभाग प्रदेश के बहुमूल्य वनों तथा वन्यप्राणियों और जैव विविधिता को बनाये रखने एवं वनों पर आजीविका हेतु आश्रित ग्रामीणों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास में सफल रहा है। सतत रूप से वनों का संरक्षण और संवर्धन करने तथा विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से वनक्षेत्रों के समीप रहने वाले ग्रामीणों, मुख्यतः आदिवासियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में वन विभाग निरंतर प्रयासरत है। संयुक्त वन प्रबंधन एवं सूचना प्रौद्योगिकी के ज्यादा से ज्यादा उपयोग द्वारा वन एवं वानिकी को और अधिक उन्नत और जनोन्मुखी बनाया जा सके, यही विभाग की आकांक्षा है।

– – – – –

परिशिष्ट

परिशिष्ट एक
मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम

राष्ट्रीय कृषि आयोग की अंतरिम रिपोर्ट, 'प्रोडक्शन फॉरेस्ट्रीः मैन–मेड फारेस्ट्स' (1972) के आधार पर रूपये 20.00 करोड़ की अधिकृत पूंजी से मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई 1975 को की गई थी। वर्तमान में निगम की अधिकृत अंशपूंजी रूपये 40.00 करोड़ तथा प्रदत्त अंशपूंजी रूपये 39.32 करोड़ है, जिसमें से केन्द्र शासन का अंशदान रूपये 1.39 करोड़ एवं मध्यप्रदेश शासन का अंशदान रूपये 37.93 करोड़ है।

निगम की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य निम्न कोटि के वन क्षेत्रों को तेजी से बढ़ने वाली बहुमूल्य तथा बहु उपयोगी प्रजातियों के रोपण द्वारा उच्च कोटि के वनों में परिवर्तित कर उत्पादन क्षमता एवं गुणवत्ता में सुधार लाना है।

गतिविधियां एवं उपलब्धियां

सागौन एवं बांस का व्यावसायिक रोपण निगम की मुख्य गतिविधि है। निगम द्वारा व्यावसायिक बैंकों से ऋण लेकर वन विभाग द्वारा हस्तांतरित वन भूमि पर रोपण किया जाता है। 1976 से 2010 तक वन विकास निगम ने निम्नानुसार रोपण कार्य किए हैं –

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

क्र.	योजना का नाम	उपलब्धि
1	वर्षा आधारित सागौन रोपण	1,71,970
2	सिंचित सागौन रोपण	533
3	हाई इनपुट सागौन	685
4	बांस रोपण	22,092
5	मिश्रित रोपण	2,672
6	12 वें वित्त आयोग से अनुदान प्राप्त सागौन रोपण योजना	10,848
	योग	**2,08,800**
7	बिगड़े वनों का सुधार सह बांस रोपण योजना (योजना 1996 से समाप्त)	5,167
8	बिगड़े बांस वनों का सुधार (योजना 2003 से समाप्त)	13,179
	योग	**18,346**
	महायोग	**2,27,146**
9	केन्द्र प्रवर्तित लघुवनोपज (औषधीय पौधों सहित) का रोपण (योजना 1996 से समाप्त)	4,745
10	केन्द्र प्रवर्तित गैर इमारती वनोपज का संरक्षण एवं विकास (औषधीय पौधों सहित) (योजना 2000 से समाप्त)	1,841
11	विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत सबई सीसल रोपण (योजना 1997 से समाप्त)	1144 (416 रो.कि.मी.)
12	केन्द्रीय औषधीय पादप बोर्ड, नई दिल्ली से अनुदान प्राप्त औषधि रोपण योजना (योजना 2008–09 से प्रारंभ)	497
	योग	**8227 (416 रो.कि.मी.)**
13	सूखा उन्मुख क्षेत्र कार्यक्रम अ. वृक्षारोपण एवं चारागाह विकास (योजना 1995 से समाप्त) ब. सड़क किनारे वृक्षारोपण (योजना 1995 से समाप्त)	 90,454 334
14	सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण	4,287

	(योजना 1997 से समाप्त)	
15	मोहिनी सागर जलग्रहण क्षेत्र उपचार कार्य (वर्ष 2008 से समाप्त)	29,724
16	माहेश्वर बांध जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना (केवल वर्ष 2007 में रोपण)	1,158
17	नया हरसूद (छनेरा) में रोपण	73,850
18	खदानी एवं औद्योगिक संस्थानों के क्षेत्रों पर डिपाजिट वर्क के अंतर्गत रोपण	240 लाख पौधे

निगम का लेखा

2008–09 तक निगम का लेखा अद्यतन कर जुलाई 2010 में विधान सभा पटल पर रखा गया। 2009–10 के लेखे तैयार कर निगम के संचालक मंडल द्वारा अनुमोदित किये जा चुके हैं। सांविधिक अंकेक्षण का प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है तथा कंपनी अधिनियम की धारा 619 (4) के अंतर्गत प्रतिवेदन प्राप्त होना शेष है। स्थापना वर्ष से ही निगम निरंतर लाभ में चल रहा है। 2008–09 तक संचित लाभ रूपये 49.22 करोड़ (कर पश्चात) है। 2008–09 के लिये राज्य शासन को रूपये 227.59 लाख तथा भारत सरकार को रूपये 8.32 लाख (डिविडेंड) का भुगतान 2010–11 में किया गया है।

उद्देश्यों की पूर्ति

स्थापना के 35 वर्षो की अवधि में निगम के उद्देश्यों की पूर्ति में आशातीत सफलता प्राप्त हुई है। इस अवधि में निगम द्वारा 2,27,146 हेक्टेयर निम्न कोटि के वनों को उच्च कोटि के वनों में परिवर्तित किया गया है। इस महती लक्ष्य की पूर्ति निगम द्वारा वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर की गई एवं निगम द्वारा बैंकों को समय–समय पर ऋण और ब्याज का भुगतान भी किया गया है। गैर वन भूमि वनीकरण के क्षेत्र में निगम प्रदेश की विशेष एजेंसी के रुप में उभरा है तथा विभिन्न शासकीय उपक्रमों के लिए वनीकरण का कार्य कर पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

बजट की स्थिति

संचालक मंडल द्वारा 2010–11 का बजट निम्नानुसार अनुमोदित किया गया है –

क्र.	विवरण	बजट अनुमान (लाख रूपये में)
(अ)	**प्रारंभिक बैंक शेष**	**8,576**
(ब)	**प्राप्तियां / आय**	
1.	विदोहन से (कर के पश्चात)	12,900
2.	डिपाजिट रोपण हेतु प्राप्तियां	635
3.	मोहिनी सागर जलग्रहण हेतु जल संसाधन विभाग से	28
4.	महेश्वर बांध जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना हेतु	10
5.	भारत ओमान बीना रिफायनरी से	37
6.	मध्य प्रदेश शासन से कमीशन	190
7.	विविध आय	500
	योग (ब)	**14,300**
	योग (अ+ब)	**22,876**
(स)	**व्यय / भुगतान**	
1.	विदोहन व्यय	2,874
2.	रख–रखाव	501

3.	स्थापना व्यय	4,300
4.	वृक्षारोपण/ पुनरूत्पादन व्यय	3,564
5	डिपॉजिट रोपण व्यय	596
6	पूंजीगत व्यय	690
7.	अनुसंधान विकास एवं कार्य आयोजना व्यय	50
8	ईकोपर्यटन विकास बोर्ड को भुगतान	25
9.	आयकर भुगतान	200
10.	म.प्र. शासन/ भारत सरकार को लाभांश का भुगतान	236
11.	म.प्र. शासन को लीज रेंट का भुगतान	4,190
12.	अतिरिक्त बजट स्वीकृति	50
	योग (स)	**17,276**
(द)	**अंतिम बैंक शेष**	**5,600**
	योग (स+द)	**22,876**

वृक्षारोपण की उपलब्धियां

विगत पांच वर्षों में विभिन्न योजनाओं में निम्नानुसार वृक्षारोपण किए गए हैं –

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

योजना	2006	2007	2008	2009	2010	योग
सागौन (वर्षा आधारित)	5,798	8,751	10,028	6,566	7,190	38,333
मोहिनी सागर बांध जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना	–	4,200	3,584	–	–	7,784
माहेश्वर बांध जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना	–	1,158	–	–	–	1,158
12वें वित्त आयोग के अनुदान से प्राप्त सागौन रोपण योजना	648	2,358	2,367	3,263	2,213	10,849
केन्द्रीय औषधीय पादप बोर्ड, दिल्ली से अनुदान प्राप्त औषधि रोपण	–	–	167	223	107	497
बांस रोपण	–	–	–	–	1,324	1,324
मिश्रित रोपण	–	–	–	–	482	482
योग	**6,446**	**16,467**	**16,146**	**10,052**	**11,316**	**60,427**
डिपॉजिट वर्क (पौधों की संख्या, लाख में)	**5.20**	**8.74**	**7.68**	**7.56**	**4.09**	**33.27**

————————

परिशिष्ट दो

मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ

मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ का गठन 1984 में किया गया। प्रदेश में लघु वनोपज का संग्रहण एवं व्यापार इस संस्था द्वारा किया जा रहा है। 1989 में इस व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ और लघु वनोपज के संग्रहण कार्य में संलग्न प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्गों के ग्रामीणों के आर्थिक व सामाजिक उत्थान हेतु वनोपज के संग्रहण एवं विपणन का कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु संपूर्ण प्रदेश में वास्तविक संग्रहणकर्ताओं की सदस्यता वाली 1066 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां कार्यरत हैं। क्षेत्रीय वनमंडलों के स्तर पर वर्तमान में 60 जिला लघु वनोपज यूनियन बनाये गये हैं। यह सहकारी संरचना त्रिस्तरीय है, जिसके शीर्ष स्तर पर मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ कार्यरत है। प्रदेश के वनवासियों को अराष्ट्रीयकृत वनोपजों (जैसे चिरौंजी, शहद, माहुल पत्ता, आंवला इत्यादि) तथा औषधीय वनोपजों का निःशुल्क संग्रहण करने की छूट दी गई है। संघ की विभिन्न गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है –

1. राष्ट्रीयकृत वनोपज

तेंदूपत्ताः संग्रहण वर्ष 2011 में संग्रहित होने वाले तेन्दूपत्ते के अग्रिम निविदा द्वारा विक्रय की कार्यवाही की जा रही है। जिन लाटों का अग्रिम निर्वर्तन नहीं हो पायेगा, उनका पूर्व वर्षो के अनुसार संग्रहित तेंदूपत्ता गोदामीकरण के उपरांत निर्वर्तित किया जावेगा। विगत तीन वर्षों में संग्रहण एवं निर्वतन की जानकारी निम्नानुसार है –

(मात्रा लाख मानक बोरा में; राशि करोड़ रूपये में)

संग्रहण वर्ष	संग्रहण दर (रु. प्रति मा.बो.)	गोदामीकृत मात्रा	संग्रहण मजदूरी की राशि	अब तक विक्रय की गई मात्रा	विक्रय मूल्य
2008	550	18.15	99.82	17.47	210.54
2009	550	20.49	112.69	20.25	264.90
2010	650	21.24	138.06	20.75	327.28

सालबीजः साल बीज संग्रहण पर म.प्र. शासन द्वारा प्रदेश में 2007 से 2011 तक पांच वर्षों हेतु पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। 2008 से प्रदेश में सालबीज संग्रहण पर लगा प्रतिबंध हटाते हुए सालबीज संग्रहण कराने हेतु शासन द्वारा निर्देश जारी किए गये। सालबीज संग्रहण एवं निर्वतन की जानकारी निम्नानुसार है –

संग्रहण वर्ष	संग्रहित मात्रा (क्विंटल)	निर्वर्तित मात्रा (क्विंटल)	प्राप्त विक्रय मूल्य (लाख रूपये)	औसत विक्रय दर (रूपये प्रति क्विंटल)
2009	76597.33	76597.33	419.61	548
2010	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

कुल्लू गोंदः कुल्लू गोंद को 11 जिलों में राष्ट्रीयकृत वनोपज घोषित कर इसका संग्रहण किया जाता है। विगत दो वर्षों में संग्रहण एवं निर्वतन की जानकारी निम्नानुसार है –

संग्रहण वर्ष	संग्रहित मात्रा (क्विंटल)	निर्वर्तित मात्रा (क्विंटल)	प्राप्त विक्रय मूल्य (लाख रूपये)	औसत विक्रय दर (रूपये प्रति क्विंटल)
2008–09	231.97	231.97	24.71	10,653
2009–10	82.22	82.22	14.24	17,320

लाखः शासन द्वारा 17.9.2009 को अधिसूचना जारी कर प्रदेश के दस जिलों (होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिण्डोरी, अनूपपुर, शहडोल एवं उमरिया) में एक वर्ष के लिए वनोपज को विनिर्दिष्ट वनोपज घोषित किया गया है। 2009–10 में 334.07 क्विंटल लाख का संग्रहण हुआ है, एवं 2010 में 102.99 क्विंटल लाख का संग्रहण हुआ है। अब लाख के समर्थन मूल्य पर क्रय की व्यवस्था प्रस्तावित है।

2. अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज

विनाश विहीन विदोहन को प्रोत्साहित करने हेतु लाख, कुल्लू गोंद एवं शहद के विनाश विहीन विदोहन की पद्धतियों का ग्रामवासियों को प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त अन्य विभिन्न गतिविधियां एवं योजनाएं लघु वनोपज संघ द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं। इन गतिविधियों के माध्यम से लघु वनोपज तथा औषधीय पौधों के स्रोतों के संरक्षण के साथ–साथ संग्राहकों, प्रसंस्करणकर्ताओं व उद्यमियों के मध्य समन्वय स्थापित करने में सहयोग देते हुए उन्हें अधिकाधिक लाभ दिलाने के प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य शासन द्वारा औषधीय एवं सुगंधित पौधों के विकास के लिए एक रणनीति अनुमोदित की गई है।

3. सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना

वर्ष 1991 से प्रदेश के समस्त तेंदूपत्ता संग्राहकों के कल्याण हेतु एक निःशुल्क सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना प्रारम्भ की गई है। 1997 से योजना में सम्मिलित किसी भी संग्राहक की सामान्य मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति को 3,500 रूपये की राशि तथा यदि कोई संग्राहक दुर्घटना के कारण आंशिक रुप से विकलांग हो जाता है तो आंशिक विकलांगता के लिए 12,500 रूपये तथा यदि दुर्घटना में व्यक्ति पूर्णतः विकलांग हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसे या उसके उत्तराधिकारी को 25,000 रूपये की राशि देने का प्रावधान है। इस योजना के अर्न्तगत अब तक 2.02 लाख दावों का निराकरण किया जाकर रूपये 79.22 करोड़ की राशि तेंदूपत्ता संग्राहकों के परिवारों को भुगतान की जा चुकी है।

4. प्रोत्साहन पारिश्रमिक

वर्ष 1997 तक संघ द्वारा लघु वनोपजों के व्यापार से प्राप्त शुद्ध लाभ में से 20 प्रतिशत राशि प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में भुगतान की जाती थी एवं शेष राशि का भुगतान राज्य शासन को रॉयल्टी के रूप में किया जाता था। संविधान के 73वें संशोधन के फलस्वरूप लघु वनोपज का स्वामित्व ग्राम सभाओं को सौंपा गया है। इस परिप्रेक्ष्य में लघु वनोपज व्यवसाय से होने वाली संपूर्ण शुद्ध आय प्राथमिक सहकारी वनोपज समितियों को उपलब्ध कराई जा रही है। यह व्यवस्था 1998 से लागू की गई है। मध्यप्रदेश इस व्यवस्था को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। संग्रहण वर्ष 2004 से इस शुद्ध आय का 60 प्रतिशत भाग संग्राहकों को उनके द्वारा संग्रहित मात्रा के अनुपात में प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में नकद भुगतान करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त 20 प्रतिशत भाग वनों के पुनरूत्पादन पर लगाया जा रहा है तथा शेष राशि सहकारी समितियां अपने विवेक अनुसार ग्राम की मूलभूत सुविधाओं के विकास में व्यय कर रही हैं। इसके अंतर्गत ग्रामों में पेयजल एवं सिंचाई की सुविधाओं का विकास किया जा रहा है तथा गोदामों एवं लघु वनोपज प्रसंस्करण केंद्रों का निर्माण तथा औषधि उद्यान की स्थापना के कार्य किये जा रहे हैं।

इस व्यवस्था के अंतर्गत विगत चार वर्षों में वितरित प्रोत्साहन पारिश्रमिक की राशि का विवरण निम्नानुसार है –

संग्रहण वर्ष	प्रोत्साहन पारिश्रमिक की वितरित राशि (रुपये करोड़ में)
2006	27.41
2007	118.58
2008	38.73
2009	62.11

5. एकलव्य शिक्षा विकास योजना

लघु वनोपज संघ द्वारा ''एकलव्य शिक्षा विकास योजना'' नवंबर 2010 में प्रारंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य वनक्षेत्रों में निवास करने वाले तेन्दूपत्ता संग्राहकों के बच्चों की शिक्षा की ऐसी व्यवस्था करना है, जिससे उनके होनहार बच्चे धनाभाव के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रह जाएं। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उत्कृष्ट शिक्षण संस्थानों में प्रवेश एवं शिक्षा का व्यय वनोपज संघ द्वारा वहन किया जाएगा। योजना के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं –

1. योजना का लाभ प्रदेश के तेन्दूपत्ता संग्राहकों, फड़ मुंशियों एवं प्राथमिक वनोपज समितियों के प्रबंधकों के बच्चों को प्राप्त हो सकेगा। पात्रता हेतु संग्राहक के लिए यह आवश्यक है कि विगत पांच वर्षो में कम से कम तीन वर्षों में उसके द्वारा न्यूनतम एक मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण किया गया हो तथा फड़ मुंशी एवं समिति प्रबंधक द्वारा कम से कम तीन वर्षों में तेन्दूपत्ता सीजन में कार्य किया गया हो।
2. योजना हेतु उन्हीं बच्चों के प्रकरणों पर विचार किया जायेगा जिन्होंने पिछली कक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंक अथवा समकक्ष ग्रेड अर्जित किया हो। उनका चयन प्रावीण्य सूची के आधार पर किया जायेगा। चयनित छात्र–छात्राओं को निरंतर न्यूनतम 60 प्रतिशत अथवा समकक्ष ग्रेड प्राप्त करते रहना होगा, तथा यदि उनका प्रदर्शन नीचे जाता है तो सुधार लाने के लिए अधिकतम एक अवसर प्रदान किया जाएगा।
3. योजना में शिक्षण शुल्क, पाठय पुस्तकों पर व्यय, छात्रावास व्यय तथा वर्ष में एक बार घर आने–जाने हेतु यात्रा व्यय दिया जाएगा, तथा सहायता की अधिकतम वार्षिक सीमा निम्नानुसार होगी –
    - कक्षा 9वीं एवं 10 वीं के विद्यार्थियों को 12,000 रूपये
    - कक्षा 11वीं एवं 12 वीं के विद्यार्थियों को 15,000 रूपये
    - गैर तकनीकी स्नातक विद्यार्थियों को 20,000 रूपये
    - व्यावसायिक कोर्स के विद्यार्थियों को 50,000 रूपये
4. प्रत्येक वर्ष लघु वनोपज संघ के संचालक मंडल द्वारा स्वीकृत बजट राशि के अंतर्गत श्रेष्ठता क्रम में चयनित छात्र–छात्राओं को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। उपलब्ध बजट की 50 प्रतिशत राशि नौवीं से बारहवीं तक की शिक्षा के लिए तथा शेष 50 प्रतिशत राशि स्नातक स्तर की शिक्षा के लिए उपलब्ध हो सकेगी।

6. अन्य योजनाएं

1. औषधीय पौधों के विपणन के लिये भोपाल, बालाघाट, पूर्व छिन्दवाड़ा, पश्चिम छिंदवाड़ा, कटनी, सिवनी, खण्डवा, खरगोन, बड़वानी, रेहटी (सीहोर), होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सतना, बरखेड़ा पठानी, मैहर, इंदौर, पन्ना, ग्वालियर, अमरकंटक, कपिलधारा, छतरपुर, जबलपुर एवं रीवा में 'संजीवनी आयुर्वेद' के नाम से 25 विक्रय केन्द्र प्रारंभ किये गये हैं। देवास तथा बुरहानपुर में दो नए केन्द्र निर्माणधीन हैं। इन विक्रय केन्द्रों के माध्यम से अर्द्ध तथा पूर्ण प्रसंस्कृत लघु वनोपज तथा औषधीय उत्पादों का आम जनता को विक्रय किया जाता है। विपणन किये जा रहे उत्पादों में आंवला मुरब्बा, अर्जुन चाय, शहद, गोंद, बेल, गुड़मार एवं त्रिफला चूर्ण आदि प्रमुख हैं। आवश्यकता एवं उत्पादों की उपलब्धता के आधार पर अन्य स्थानों पर भी ऐसे केन्द्र स्थापित करने पर विचार किया जाएगा।
2. औषधीय पौधों के प्रसंस्करण केन्द्र बरखेडा पठानी, भोपाल की स्थापना 2003 में हुई थी। इस केन्द्र को खाद्य एवं औषधि नियंत्रक, मध्यप्रदेश से औषधि निर्माण हेतु 250 उत्पादों के लायसेंस प्राप्त हो चुके हैं। इस केन्द्र की प्रयोगशाला का उन्नयन कार्य आयुष विभाग, भारत सरकार की सहायता से किया जा रहा है, जिसके उपरांत यह प्रयोगशाला राष्ट्रीय स्तर की हो जाएगी।

3. प्रदेश में लघु वनोपजों तथा औषधीय पौधों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने एवं उनके व्यापार को प्रोत्साहन देने के उददेश्य से विभिन्न जिला यूनियनों को संघ मुख्यालय से ऋण निधि से कम दर (4 प्रतिशत) के ब्याज पर रूपये 614.94 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई है।

4. स्थानीय लोगों में वनौषधियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने, प्रदेश की विभिन्न समितियों द्वारा उत्पादित हर्बल उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष भोपाल में राष्ट्रीय वन मेला आयोजित किया जाता है। इस वर्ष यह मेला 24–27 दिसंबर 2010 को बिट्टन मार्केट, दशहरा मैदान में आयोजित किया गया।

5. राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा प्रसंस्करण केद्रों में कच्चे माल की आपूर्ति हेतु औषधीय पौधरोपण केद्रों की स्थापना के लिए 11 जिला यूनियनों (खंडवा, देवास, भोपाल, सीहोर, पूर्व छिन्दवाड़ा, इंदौर, जबलपुर, नरसिहपुर, श्योपुर, कटनी एवं शिवपुरी) में कुल 800 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु रूपये 640.00 लाख की योजना स्वीकृत की गई है, जिसमें लघु वनोपज संघ को रूपये 380.00 लाख की राशि प्राप्त हुई है। योजना का कार्य प्रगति पर है।

6. राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा औषधीय पौधों के स्रोतों का सुदृढ़ीकरण अंतर्गत जिला यूनियन रायसेन, होशंगाबाद, उत्तर बैतूल, दमोह एवं बुरहानपुर में कुल 1200 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए रुपये 230 लाख की योजना स्वीकृत की गई है, जिससे संघ को रुपये 92.00 लाख की राशि प्राप्त हुई है। योजना अंतर्गत अब तक 720 हेक्टेयर क्षेत्र में औषधीय पौधों का रोपण किया गया।

7. इसी प्रकार अमरकंटक पठार पर औषधीय पौधों का संरक्षण एवं विस्तार हेतु रुपये 124.80 लाख स्वीकृत कर रुपये 37.00 लाख की राशि विमुक्त की गई है। इस योजना के अंतर्गत 200 हेक्टेयर क्षेत्र में कलिहारी, गुलबकावली, काली हल्दी एवं मजिष्ठ का रोपण किया गया है। तामिया क्षेत्र में औषधीय पौधों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड द्वारा रुपये 123.80 लाख की योजना स्वीकृत की गई है। संघ को रुपये 37.00 लाख प्राप्त हुए हैं। योजना के अंतर्गत 150 हेक्टेयर क्षेत्र में कलिहारी, सर्पगंधा एवं कालमेघ का रोपण किया गया है।

8. मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल से रीवा में औषधीय एवं सुगंधित पौधों के प्रशिक्षण–सह–प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी विकास एवं हर्बल अवेयरनेस से संबंधित कार्यक्रम हेतु रुपये 534.00 लाख की योजना 2009–10 में स्वीकृत की गई है। इस हेतु रुपये 335.11 लाख की राशि जिला यूनियन, रीवा को प्रदाय की गई है। योजना में रुपये 215.11 लाख व्यय किये जा चुके हैं। इसी प्रकार मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल की सहायता से जिला छिंदवाड़ा में औषधीय एवं सुगंधित पौधों का प्रशिक्षण–सह–प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी विकास एवं हर्बल अवेयरनेस कार्यक्रम हेतु रुपये 231.50 लाख की योजना वर्ष 2006–07 में स्वीकृत की गई। उक्त योजना में बोर्ड से रुपये 208.35 लाख प्राप्त हुए हैं। संघ से जिला यूनियन, पूर्व छिंदवाड़ा को रुपये 172.15 लाख प्रदाय किये गये हैं। योजना में अब तक रुपये 87.98 लाख की राशि व्यय की गई है।

———

परिशिष्ट तीन

राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर

राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर वर्ष 1963 में अस्तित्व में आया। राज्य शासन के 29 अक्टूबर 1994 को जारी आदेश द्वारा इसे स्वायत्तशायी संस्थान घोषित किया गया। यह संस्थान वन, वनस्पति, वनवर्धन, वृक्ष सुधार, बीज तकनीकी, जैव विविधता, वन अनुवांशिकी, जैव प्रौद्योगिकी, वनोपज विपणन, वन विस्तार, वन मापिकी, वन पारिस्थितिकी एवं पर्यावरणीय प्रभाव आदि विषयों में शोध एवं तकनीक विकसित कर उनके प्रचार–प्रसार का कार्य करता है।

संरचना

संस्थान के संचालक मंडल में 14 सदस्य हैं। संस्थान में संचालक का पद प्रधान मुख्य वन संरक्षक के स्तर का है। वर्तमान में संचालक के पद पर मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी पदस्थ हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक स्तर के 1 अपर संचालक, दो वन संरक्षक स्तर के उप संचालक तथा 2 सहायक वन संरक्षक स्तर के सहायक संचालक पदस्थ हैं। साथ ही 6 वैज्ञानिक, 2 वन क्षेत्रपाल, 14 अनुसंधान अधिकारी, 2 वरिष्ठ अनुसंधान सहायक, 1 प्रयोगशाला तकनीशियन, 1 लेजर सहायक, 1 प्रयोगशाला सहायक, 3 क्षेत्र सहायक, 7 वनपाल, 7 वनरक्षक एवं 3 तकनीकी सहायक (संविदा) पदस्थ हैं।

मुख्य गतिविधियां

संस्थान की अनुसंधान गतिविधियां वर्तमान में निम्न मुख्य विषयों पर केन्द्रित हैं –

1. राष्ट्रीय नेटवर्क के अंतर्गत जेट्रोफा का एकीकृत विकास।
2. प्राकृतिक वनक्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों एवं लोक संरक्षित क्षेत्रों में उपलब्ध जैवविविधता का सर्वेक्षण एवं संकटापन्न प्रजातियों की पहचान।
3. विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों पर लाख के उत्पादन की तकनीक विकसित करना एवं उसका ग्रामीण जनता में प्रचार–प्रसार।
4. उत्तम गुणवत्ता वाले बीजों का संग्रहण, उपचारण, भंडारण, प्रमाणीकरण एवं वितरण।
5. विभिन्न वानिकी प्रजातियों की रोपणी तकनीकों का विकास।
6. कायिक प्रवर्धन, संतति परीक्षण एवं वृक्षों की अच्छी किस्में तैयार करना।
7. औषधीय पौधों का अन्तः एवं बाह्य स्थलीय संरक्षण एवं विकास।
8. लघु वनोपज, औषधीय एवं सुगंधित पौधों का संसाधन सर्वेक्षण।
9. लघु वनोपज तथा औषधीय पौधों का सतत विदोहन, प्रसंस्करण, श्रेणीकरण, विपणन, सूखत तकनीक, सतत प्रबंधन, भण्डारण तकनीकों का विकास एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार–प्रसार।
10. सागौन के वृक्षों के पत्तों में लगने वाले कीड़ों की जैविक रोक–थाम हेतु प्रायोगिक प्रयास।
11. नमूना भूखण्डों का मापन एवं फार्म फैक्टर, आयतन एवं प्राप्ति तालिकाएं तैयार करना।
12. मध्यप्रदेश में बांस के सामूहिक रूप से पुष्पित (Gregariously flowered) वनों में बांस की पुनर्स्थापना के लिए किए गए विभिन्न उपचारों का अध्ययन।
13. मध्यप्रदेश में जैव विविधता संरक्षण में Sacred groves की भूमिका का अध्ययन।
14. बांस प्रजाति के उत्तम गुणवत्ता वाले पौधों के प्रादर्श भूखंडों की स्थापना।
15. परिरक्षित भूखण्डों की स्थापना एवं पारिस्थितिकी अध्ययन।
16. प्राकृतिक वन संसाधन एवं लघु वनोपज सूचना प्रणाली तकनीक का विकास।

17. उत्खनन भूमि के भौतिक, जैविक तथा पारिस्थितिक गुणों पर पड़ने वाले प्रभावों का संघात निर्धारण (Impact assessment)
18. स्थानीय जनसमुदाय की सक्रिय भागीदारी द्वारा प्राकृतिक वनों में व्यावसायिक एवं औषधीय महत्व की प्रजातियों की सतत विदोहन तकनीक का निर्धारण एवं विकास।
19. महत्वपूर्ण तैलीय बीज प्रजातियों (महुआ एवं कुसुम) के जननद्रव्य मूल्यांकन तथा बीज एवं कायिक प्रवर्धन तकनीकों का मानकीकरण।
20. बीजोद्यान तथा बीज उत्पादन क्षेत्रों के रखरखाव हेतु संबंधित वन अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।
21. तेन्दूपत्ता के अधिक से अधिक उत्पादन एवं उच्च गुणवत्ता युक्त पत्तियों की प्राप्ति हेतु शाखकर्तन द्वारा उचित मापदण्ड का निर्धारण।
22. मध्यप्रदेश के विभिन्न वन प्रकारों में चराई की धारण क्षमता एवं वितान घनत्व (Canopy density) के आकलन हेतु उपयुक्त विधि (Methodology) का विकास।
23. वनों से प्राप्त होने वाले प्रत्यक्ष एवं परोक्ष लाभों का मूल्यांकन कर उनका राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में योगदान एवं एफ.आर.ए. प्रणाली (Forest Resource Accounting System) विकसित करना।
24. मध्यप्रदेश वन विभाग एवं वानिकी अनुसंधान के पुराने अभिलेखों का डिजिटाईजेशन करना।
25. मध्यप्रदेश में स्वचलित मौसम केन्द्र (Automatic Weather Station) एवं कृषि मौसम केन्द्र (Agro-meteorological Station) से प्राप्त आंकड़ों के उपयोग द्वारा विज्ञान योजना वन विभाग की साझेदारी (Collaboration) से तैयार करना।
26. मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम द्वारा विभिन्न आयु के सागौन वृक्षारोपणों में शाकीय पादप जैव विविधता की स्थिति का मूल्यांकन।
27. जैव प्रौद्योगिकी तकनीक से महत्वपूर्ण औषधीय प्रजातियों का कीमोप्रोफाइलिंग द्वारा जननद्रव्य का आकलन तथा उन्नत किस्म के पौधों का विकास।
28. महुआ वृक्षों में विभिन्न प्रकार के खाद एवं रासायनिक तत्वों के उपयोग से वृद्धि की तकनीकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा लाभार्थियों को हस्तांतरण।

अनुसंधान परियोजनाओं की प्रगति

वर्ष के दौरान संस्थान में चल रही अनुसंधान परियोजनाओं में से 13 परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया, 27 परियोजनाएं एवं 13 नियमित गतिविधियां प्रचलित हैं, तथा 5 नवीन परियोजनायें प्रारंभ की गई हैं।

अनुश्रवण और मूल्यांकन

संस्थान द्वारा निम्न अनुश्रवण और मूल्यांकन कार्य लिये गये हैं –

- मध्यप्रदेश के विभिन्न वनमण्डलों द्वारा लगाये गये सिंचित सागौन वृक्षारोपणों का मूल्यांकन।
- मध्यप्रदेश के विभिन्न वनमंडलों में लोक संरक्षित क्षेत्रों एवं संरक्षित क्षेत्रों में उपलब्ध वन संसाधनों का आकलन
- विभिन्न वनमंडलों द्वारा वनग्रामों में कराये गये विकास कार्यों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण का कार्य।
- वन विकास अभिकरणों के माध्यम से 2007–08 एवं 2008–09 में कराये गये कार्यों का मूल्यांकन।
- राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता वाले किसानों को प्राप्त सामाजिक आर्थिक लाभ का आकलन।

प्रकाशन तथा अन्य गतिविधियां

उपरोक्त गतिविधियों के अतिरिक्त संस्थान के वैज्ञानिकों पर संस्थान परिसर में स्थापित वानस्पतिक उद्यान के विकास व सुदृढ़ीकरण तथा संस्थान स्थित जीन बैंक, मिस्ट चेम्बर, हरबेरियम और वन संग्रहालय के विकास और रखरखाव का दायित्व भी है। वैज्ञानिकों द्वारा संस्थान तथा क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा कार्यशाला संचालित की जाती हैं तथा वानिकी से संबंधित प्रचार–प्रसार भी किया जाता है। संस्थान द्वारा त्रैमासिक पत्रिकाओं 'वानिकी संदेश' तथा 'वन–धन' का प्रकाशन भी किया जाता है। समय–समय पर अनुसंधान द्वारा विकसित तकनीकों के प्रचार–प्रसार हेतु तकनीकी बुलेटिन, ब्रोशर एवं पैम्फलेट्स का प्रकाशन किया जाता है। वानिकी अनुसंधान से विकसित तकनीकों के विस्तार हेतु वन मेला, किसान मेला तथा स्वरोजगार मेला में सक्रिय रुप भाग लिया जाता है।

संस्थान द्वारा निम्न अनुसंधान सेवायें उपलब्ध करायी जाती हैं –

1. कृषकों, उद्यमियों, छात्रों एवं वन विभागीय अमले को औषधीय पौधों की कृषि तकनीक, उनके प्राथमिक प्रसंस्करण (Primary processing)] भंडारण, ऊतक संवर्धन (Tissue culture) एवं रोपणी विकसित करने संबंधी प्रशिक्षण।
2. विभिन्न वृक्ष प्रजातियों के रोपण संबंधी एवं औषधीय पौधों की कृषि तकनीक की जानकारी उपलब्ध कराना।
3. बीज प्रमाणीकरण
4. मृदा विश्लेषण
5. उत्तम गुणवत्ता के बीजों एवं रोपण सामग्री का प्रदाय।
6. औषधीय पौधों, विशेषतः सर्पगंधा, गूगल, ब्राम्ही, गुडमार एवं कलिहारी का रासायनिक परीक्षण कर रासायनिक रेखाचित्र (Chemo-profiling) तैयार करना।
7. वन विभाग, अन्य शासकीय/ अशासकीय संगठनों तथा व्यक्तियों को वानिकी विषयों पर व्यावसायिक तकनीकी परामर्श देना।
8. वानिकी विषयों पर अनुसंधानरत छात्रों को मार्गदर्शन एवं अनुसंधान सुविधाएं उपलब्ध कराना।
9. लोक संरक्षित क्षेत्रों (PPAs) एवं अन्य वन क्षेत्रों में वन संसाधन सर्वेक्षण।
10. इमारती काष्ठ वृक्ष प्रजातियों की फार्म फैक्टर तालिकायें, प्राप्ति तालिकायें (Yield Tables) और आयतन तालिकायें तैयार करना।
11. पर्यावरण संघात निर्धारण (Environment Impact Assessment) एवं विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में वनीकरण हेतु परामर्श।
12. लघु वनोपज विपणन सूचना तंत्र (Market Information System) का विकास एवं त्रैमासिक पत्रिका 'वन धन' के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार करना।
13. तकनीकी मैन्युअल एवं प्रचार प्रसार हेतु पठन सामग्री इत्यादि तैयार करना।
14. पुस्तकालय एवं प्रलेख्य शाखा में संग्रहित दुर्लभ वानिकी अनुसंधान अभिलेखों को वानिकीविदों एवं शोधार्थियों को उपलब्ध कराना।
15. संस्थान में स्थापित संग्रहालय के माध्यम से वन संरक्षण एवं वन संसाधनों के विकास हेतु किये जा रहे प्रयासों का प्रदर्शन।
16. विभिन्न वन मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लेकर जन साधारण को वन अनुसंधान के लाभ से अवगत कराना।
17. विभिन्न वानिकी अनुसंधान विषयों पर प्रशिक्षण, संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का आयोजन।

18. विभिन्न विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर छात्रों को वन अनुवांशिकी, ऊतक संवर्धन, जैव प्रौद्योगिकी तकनीकों पर प्रशिक्षण आयोजित करना।

वित्तीय स्रोत

राज्य वन अनुसंधान संस्थान को वन विभाग के आयोजनेत्तर बजट के अंतर्गत अनुदान तथा बाह्य संस्थाओं को भेजी गयी परियोजनाओं से वित्तीय आबंटन प्राप्त होता है। विगत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त वित्तीय आबंटन तथा व्यय का विवरण निम्नानुसार है –

(राशि लाख रुपए में)

बजट मद	2008–09		2009–10		2010–11 (नवंबर 2010 तक)	
	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
10–2406 आयोजनेत्तर/ सहायक अनुदान	295.00	278.38	362.70	329.37	484.54	234.30
12वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि	59.50 (पूर्व वर्ष की शेष राशि)	59.50	–	–	–	–
डिपॉजिट वर्क्स	166.72 एवं पूर्व वर्ष का शेष 20.21	174.17	120.77	64.66	93.52	45.13

तेरहवें वित्त आयोग के लिए प्रस्ताव

तेरहवें वित्त आयोग से राशि प्राप्त करने के लिए राज्य वन अनुसंधान संस्थान द्वारा 12 परियोजनाएं प्रेषित की गयी हैं, जिनकी कुल राशि रुपए 797.62 लाख है। अभी तक इसके अंतर्गत राशि स्वीकृत नहीं की गई है।

————————

परिशिष्ट चार
मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड

मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड का गठन 12 जुलाई 2005 को म.प्र. सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973 के अंतर्गत किया गया था। बोर्ड म.प्र. शासन के वन विभाग के अंतर्गत एक स्वशासी संस्था है। बोर्ड का लक्ष्य उत्तरदायी पर्यटन को सतत वन प्रबंध की मुख्य धारा में लाना है। बोर्ड के तीन प्रमुख उद्देश्य हैं – प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, गंतव्य स्थलों पर ईकोपर्यटन अधोसंरचना विकास, और समीपस्थ निवासी समुदायों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

बोर्ड की संरचना में दो प्रमुख समितिया हैं – साधारण सभा, जिसके सभापति माननीय वन मंत्री हैं, एवं कार्यकारी समिति, जिसके अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव, वन हैं। बोर्ड में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, महाप्रबंधक और उप प्रबंधक पदस्थ हैं, जो वन विभाग से प्रतिनियुक्ति पर हैं। प्रदेश के 16 क्षेत्रीय वन वृत्तों के मुख्य वन संरक्षक और 9 राष्ट्रीय उद्यानों के क्षेत्र संचालक/संचालक बोर्ड के पदेन क्षेत्रीय महाप्रबंधक एवं 63 क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी और 9 राष्ट्रीय उद्यानों के उप संचालक बोर्ड के पदेन क्षेत्रीय प्रबंधक हैं।

बोर्ड द्वारा प्रदेश में 8 स्थलों (मुरैना में राजघाट, बालाघाट में गांगुलपारा, शिवपुरी में सख्या सागर, गुना में गोपीकृष्ण सागर, रायसेन में पुरतला, राजगढ़ में चिड़ीखोह, होशंगाबाद में मड़ई, एवं भोपाल में केरवा) पर नौकायन सुविधा प्रारंभ की गई है। ईकोपर्यटन गंतव्य स्थल समर्धा (जिला भोपाल) में ईकोपर्यटन अधोसंरचना एवं गतिविधि विकास का कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय से वित्तीय सहायता के लिए 7 परियोजनाएं (केरवा–भोपाल, कुकरू खामला–बैतूल, बरगी हिल्स–जबलपुर, तिलक सिंदूर–होशंगाबाद, मैहर–सतना, कठौतिया–सीहोर एवं सलकनपुर–सीहोर) म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र. के माध्यम से प्रेषित की जा रही हैं।

आयोजन

बोर्ड द्वारा भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृत अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 20 से 24 सितंबर 2010 तक किया गया। जन निजी सहभागिता (पी.पी.पी.) के माध्यम से ईकोपर्यटन विकास पर कार्यशाला दिनांक 20.10.2010 को आयोजित की गई, जिसमें देश एवं प्रदेश के 60 प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया।

बोर्ड द्वारा विभिन्न अवसरों पर विशिष्ट आयोजन किये जाते हैं जिसमें साहसिक क्रीड़ाएं, पक्षी दर्शन, नेचर कैम्प, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेलों में सहभागिता एवं वन्यप्राणी सप्ताह के आयोजन इत्यादि सम्मिलित हैं।

प्रचार प्रसार

बोर्ड द्वारा फिल्म निर्माण, पुस्तिकाएं एवं ब्रोशर प्रकाशन, रेडियो जिंगल्स आदि के माध्यम से प्रकृति संरक्षण के संदेश का प्रचार–प्रसार किया जाता है। प्रदेश में ईको–कैम्प्स की महत्वाकांक्षी योजना बोर्ड द्वारा क्रियाान्वित की गई, जिसमें वन विभाग, भोपाल बर्ड्स एवं लोक शिक्षण संचालनालय के समन्वय से प्रदेश के प्रत्येक जिले में 50 विद्याथियों को जिले के रमणीय स्थलों पर ले जाकर एक दिवसीय कार्यक्रम के माध्यम से प्रकृति संरक्षण और ईकोपर्यटन का अनुभव दिया गया। गतिविधियों में पक्षी दर्शन, प्रकृति भ्रमण, साहसिक क्रीड़ा एवं ईकोपर्यटन का महत्व बताया गया। यह प्रयास विद्यार्थियों में अपने जिले की प्राकृतिक धरोहर के लिये आदर व संरक्षण भावना विकसित करने के लिये किया गया। प्रत्येक जिले से 5 उत्कृष्ट विद्यार्थियों का चयन किया गया तथा उक्त चयनित श्रेष्ठ विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया।

ईकोपर्यटन नीति

मध्य प्रदेश राज्य की वन नीति, 2005 में बिंदु क्र. 3.16 पर ईकोपर्यटन को सम्मिलित किया गया है। प्रदेश की पर्यटन नीति, 2010 में भी ईकोपर्यटन सम्मिलित है। मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड द्वारा ईकोपर्यटन नीति का प्रारुप तैयार किया गया है, जिसे पृथक से जारी करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

क्षमता विकास

बोर्ड द्वारा विकसित किए जा रहे गंतव्य स्थल समर्धा पर सर्विस प्रोवाइडर हेतु इच्छुक स्थानीय 24 युवकों का चयन कर उन्हें विभिन्न विषयों जैसे गाइड, नाविक, साहसिक क्रीड़ा एवं आतिथ्य सत्कार इत्यादि का प्रारंभिक ज्ञान भारतीय खाद्य प्रबंधन संस्थान (आई.एच.एम.) एवं विभिन्न विषय विशेषज्ञों के माध्यम से दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के वन विश्राम गृह/निरीक्षण कुटीर के 30 चौकीदारों/कार्यरत श्रमिकों को म.प्र. राज्य आतिथ्य एवं पर्यटन प्रबंधन संस्थान द्वारा 1 माह का प्रशिक्षण दिया गया।

निजी पूंजी निवेश

बोर्ड द्वारा अर्निया, देवास में निजी पूंजी निवेश की सहभागिता से ईकोपर्यटन विकास हेतु निविदा की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई हैं तथा सफल निविदाकर्ता द्वारा क्षेत्र में ईकोपर्यटन विकास की अधोसंरचना विकसित करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। बीहर, रीवा एवं स्मृति वन, भोपाल में निजी पूंजी निवेश की सहभागिता से ईकोपर्यटन विकास हेतु निविदा की कार्यवाही प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त बोर्ड द्वारा 19 ईकोपर्यटन गंतव्य स्थल (दौलतपुर–देवास, पातालपानी–इन्दौर, नर्मदा हर्बल पार्क–होशंगाबाद, स्मृति वन–भोपाल, सापना–बैतूल, करबला रोपणी–शिवपुरी, घुघुवा रा.उ.–डिण्डोरी, गंज नर्सरी–छतरपुर, भेड़ाघाट विजिटर्स पार्क– जबलपुर, जोझा–शहडोल, भौंरा वन विश्राम गृह–बैतूल, ग्वालबेल–बड़वानी, जामद ईकोपार्क–रतलाम, ईकोपार्क–शाजापुर, सेसईपुरा (कूनो पालपुर अभयारण्य)–श्योपुर, उदयगिरी–विदिशा, राहतगढ़ प्रपात–सागर, आबचंद गुफ़ा–सागर एवं पुनासा–खण्डवा) पी.पी.पी. के माध्यम से विकसित किए जाने हेतु चिन्हांकित किए गए हैं, जिन पर कार्यवाही की जा रही है।

———————